सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दि0–12–11–2009 की कार्य सूची ।

मद सं0:–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 की कार्यवाही का पुष्टिकरण ।

मद सं0:–2 **परिचालन पद्धति से पारित निम्नलिखित आदेशों का अनुमोदनः–**

1–सर्वश्री महेन्द्र पाल एवं श्री श्रीमन नारायण गुप्ता को परेडग्राउण्ड–प्रेमनगर–परवल मार्ग पर चार–2 माह के अस्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के संबंध में पारित आदेष दिनांक 15.03.09 का अनुमोदन।

2–सर्व श्री विनोद कुमार तथा मुकेष कुमार की वाहन संख्या यूके–07–टीए–2029 तथा यूके–07–टीए–1954 को देहरादून केन्द्र से एक–2 ऑटो रिक्षा परमिट जारी करने के संबंध में पारित आदेष दिनांक 17.04.09 का अनुमोदन।

3–श्रीमती पीताम्बरी देवी पत्नी श्री चंद्रप्रकाष षिवपुरी देहरादून की वाहन संख्या यूके07–पीए–0503 को प्रेमनगर–रायपुर मार्ग का स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के संबंध में पारित आदेष दिनांक 17.04.09 का अनुमोदन ।

4–श्रीमती नसरीन की वाहन संख्या यूके07–टीए–2085, श्रीमती राजकुमारी की वाहन संख्य यूके–07–टीए 2041 व श्री ग्रिजेष कुमार की वाहन संख्या यूके–07–टीए–1920 को देहरादून केन्द्र से एक–2 ऑटोरिक्षा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पारित आदेष दिनांक 17.04.09 का अनुमोदन।

5–श्रीमती चेतन दीप कौर, श्रीमती संतोष गुप्ता, कुमारी मनीषा पाल, श्री सत्यप्रकार, श्री भूपेन्द्र, श्रीमती किरण शर्मा, श्री रूपेष, कुल्हान को देहरादून केन्द्र से एक–एक ऑटोरिक्षा परमिट जारी करने के संम्बन्ध में पारित आदेष दिनांक 04.05.09 का अनुमोदन।

6–श्री अतुल कुमार को कुलड़ी–लक्सर–रूड़की मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पारित आदेष दिनांक 07.07.09 का अनुमोदन।

7–कौलागढ़–विधानसभा मार्ग का विस्तार आईएसबीटी तक करने के सम्बन्ध में पारित आदेष दिनांक 07.07.09 का अनुमोदन।

8–श्रीमती बबीता देवी, श्रीमती संगीता देवी व श्री मोहन सिंह बिष्ट को थाना कैण्ट–परेड ग्राउण्ड वाया जी0एम0एस0 रोड–आईएसबीटी–बाई पास मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पारित आदेष दिनांक 07.07.09 को अनुमोदन।

9–श्रीमती शीला देवी व कुमारी स्वेता को डीएल रोड–डिफेंस कालोनी मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पारित आदेष दिनांक 07.07.09 का अनुमोदन।

10–श्री महेन्द्र पाल, श्री श्रीमन नारायण गुप्ता तथा श्रीमती नीतू ढिल्लन को परेड ग्राउण्ड–प्रेमनगर–परबल मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध पारित आदेष दिनांक 24.07.09 का अनुमोदन।
11–श्री अरुण कुमार पुत्र श्री कष्मीरी लाल को कुलड़ी'–लक्सर–रूड़की मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पारित आदेष दिनांक 24.07.09 का अनुमोदन।
12–हसनावाला–बिहारीगढ़–पिरान कलियर मार्ग का विस्तार रूड़की तक करने के सम्बन्ध में पारित आदेष दिनांक 24.07.09 का अनुमोदन।
13–सीमाद्वार–नालापानी मार्ग का विस्तार सीमाद्वार से हरभजवाला–ऋषिविहार–षिमला बाईपास–तुन्तोवाला–चोयला–चन्द्रमणी होते हुए आईएसबीटी तक करने के सम्बन्ध में पारित आदेष दिनांक 17.08.09 का अनुमोदन।

मद सं0–3 **सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–**

अ–दिनांक 01.12.08 से दिनांक–31–10–2009 तक मो0गा0अ0–1988 की धारा–87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गये :
–सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट क्रमांक 11595 से 11820 तक

ब–शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिटः :–

1–जनभार वाहन के स्थाई परमिट	38302 से 39723
2–भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट	8119 से 8523 तक
3–मैक्सी कैब के स्थाई परमिट	1469 से 1789 तक
4–टैक्सी कैब के स्थाई परमिट	4597 से 4717 तक
5–यूटिलिटी के स्थाई परमिट	831 से 913 तक
6–सवारी गाडी के स्थाई परमिट	
पर्वतीय मार्ग –	3224से 3531 तक

मैदानी मार्ग–	1881 से 2045 तक
6–निजी सवारी गाडी के स्थाई परमिट (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं को जारी परमिट –	1198 से 1361 तक
7–ठेका गाडी के स्थाई परमिट –	407 से 474 तक

स–स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट–

पीएसटीपी– 1501, 1504, 1505

द– स्थाई सवारी गाडी परमिटों पर लोअर माडल की गाडी का प्रतिस्थापन करने के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दि0 30–3–95 के मद सं0–15 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत सचिव द्वारा निम्न मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–

परमिट सं0 पीएसटीपी–1672, 1675

मद सं0–4 **श्रीमती निषा मस्ताना पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह मस्ताना 154–चंद्र नगर देहरादून को देहरादून केन्द्र से एक ऑटो रिक्षा परमिट जारी करने के संबंध में पारित सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के आदेष दिनांक 26.02.09 का अनुमोदन करने के सम्बन्ध में विचार व आदेषः–**

श्री सुरेन्द्र सिंह मस्ताना पुत्र श्री कुन्दन सिंह ने देहरादून केन्द्र से एक ऑटो रिक्षा परमिट देने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.07 को दिया था। इस प्रार्थना–पत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में अन्य प्रार्थना–पत्रों के साथ स्वीकृत किया गया था, परंतु श्रीमती निषा मस्ताना पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह मस्ताना ने अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.02.09 द्वारा सूचित किया था कि उनके पति की मृत्यु दिनांक 06.05. 08 को हो गयी है। अपने प्रार्थना–पत्र के साथ उन्होंने मृत्यु प्रमाण–पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा जारी पत्र दिनांक 09.02.09 भी संलग्न किया था, जिसमें मृतक के पारिवारिक सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी। श्रीमती निषा मस्ताना ने निवेदन किया था कि उनके पति श्री सुरेन्द्र सिंह के नाम से स्वीकृत ऑटोरिक्षा परमिट उनके जारी किया जाए। सचिव के आदेष दिनांक 26.02.09 द्वारा स्वीकृत परमिट श्रीमती निषा मस्ताना के नाम जारी करने के आदेष दिए गए थे। स्वीकृत परमिट संख्या ऑटो–6615, वाहन संख्या यूके 07–टीए–2031 पर दिनांक 31.03.09 को जारी कर दिया गया है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त आदेषों का अनुमोदन करने की कृपा करें।

मद सं0—5(अ)— <u>देहरादून सम्भाग तथा पौडी सम्भाग के मार्गो हेतु स्थाई ठेका गाडी,, टैक्सी कैब/मैक्सी कैब, यूटिलिटी वाहन परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेष :—</u>

देहरादून सम्भाग तथा पौड़ी सम्भाग के मार्गों हेतु स्थाई ठेका गाड़ी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब तथा यूटिलिटी वाहनों के परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :—

वाहन का प्रकार	प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या	परिषिष्ट संख्या	वैध परमिटों की संख्या
1— ठेका गाड़ी	77	क	174
2— मैक्सी कैब	228	ख	1634
3— टैक्सी कैब	17	ग	2428
4— यूटिलिटी	125	घ	780

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ब)— <u>टाटा मैजिक वाहनों के लिए स्थाई मैक्सी कैब परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष।</u>

देहरादून सम्भाग के मैदानी मार्गों हेतु टाटा मैजिक वाहनें के लिए स्थाई मैक्सी कैब परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिषिष्ट "च" में दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि टाटा मैजिक वाहन डीजल चालित वाहन है वाहन ड्राईवर को छोड़कर 7 सीट में पंजीयन हेतु अधिकृत की गई है। वर्तमान में

पुराने परमिटों पर चल रही वाहनों के स्थान पर टाटा मैजिक वाहन से प्रतिस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जा रही है, परन्तु अभी तक टाटा मैजिक वाहनों के नये परमिट जारी नहीं किये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारिक करने की कृपा करें।

मद सं0 6 **विभिन्न केन्द्रों से स्थाई आटो रिक्शा परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश पारित करना ।**

गत कई वर्षो से प्राधिकरण द्वारा विभिन्न केन्द्रों से संचालित आटो रिक्शा वाहनों की संख्या एंव इन वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण को देखते हुये नये परमिट जारी नही किये जा रहे थे , परन्तु प्राधिकरण की बैठक दि0 27.12.08 में आटो रिक्षा परमिटों हेतु प्राप्त समस्त प्रार्थना–पत्रों को स्वीकृत किया गया था, तथा यह आदेष पारित किये थे कि स्वीकृत परमिट पेट्रोल चालित नये आटो रिक्षा वाहन पर ही जारी किये जायेंगें। देहरादून सम्भाग के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों से जारी आटो रिक्षा परमिटों की संख्या तथा इन केन्द्रों से परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रो की संख्या निम्न् प्रकार है।

केन्द्र का नाम	वैध परमिटों की संख्या	प्रार्थनापत्रों की संख्या
देहरादून	2110	1551
ऋषिकेष	272	466
हरिद्वार	840	294
रूडकी	30	23

विभिन्न केन्द्रों से स्थाई आटोरिक्षा परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के विवरण परिषिष्ट–छ में दिये गये हैं ।

अध्यक्ष दून आटोरिक्षा यूनियन देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 16.10.09 द्वारा सूचित किया है कि आरटीए की पिछली बैठक में ऑटो रिक्षा वाहनों के परमिट ओपन पॉलिसी के तहत स्वीकृत किए गए हैं जिससे यातायात बाधित हो रहा है और ऑटोचालकों की जीविका पर भी बुरा असर पड़ा है। उन्होंने निवेदन

किया है कि भविष्य में ऑटो रिक्षा के परमिट नहीं खोले जायें। उन्होंने अपने पत्र में यह भी निवेदन किया है कि जो ऑटोरिक्षा स्कूल के बच्चों को ढोने का कार्य कर रहे हैं उनको एक आटो में 10–12 के बीच बच्चों को ढोने की स्वीकृति दी जाए। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि ऑटो रिक्षा का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 25 रुपया तथा उसके पश्चात् 15 रुपया प्रति किलोमीटर निर्धारित किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि पिछली बैठक में ऑटो रिक्षा के परमिट ओपन पॉलिसी के तहत बेरोजगार युवकों को स्वीकृत किए गए थे, परन्तु दुर्भाग्य से इन लोगों ने अपने ऑटो रिक्षा परमिट 70–80 हजार रुपये में विक्रय करना आरम्भ कर दिया गया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेश पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 7– **विभिन्न केन्द्रों से स्थाई विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेश ।**

विक्रम टैम्पो परमिटो हेतु निम्न केन्द्रों से परमिट देने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। इन केन्द्रों से जारी परमिटों तथा प्राप्त प्रार्थनापत्रों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	केन्द्र का नाम	प्राप्त प्रार्थनापत्रों की संख्या	जारी परमिटों की संख्या
1–	देहरादून	06	794
2–	विकासनगर	18	122
3–	धर्मावाला	15	67
4–	डोईवाला	16	328
5–	बड़ोंवाला	01	38
6–	ऋषिकेष	47	433
7–	हरिद्वार	57	537
8–	रूड़की	46	173
9–	लक्सर	54	18

उपरोक्त केन्द्रों से परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो का विवरण परिषिष्ट "ज" मे दिया गया है। इस सम्बन्ध मे प्राधिकरण को अवगत करना है कि विभिन्न केन्द्रो पर संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों की संख्या तथा इन वाहनो से हो रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1998–99 से विक्रम टैम्पो वाहनो के नये परमिट जारी नही किये जा रहे है। पीआईएल 283 में मा0 उच्च न्यायालय अन्य विभागों के साथ इस विभाग की ओर से भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगाये गये प्रतिषपथ पत्र के अनुपालन में अतुल पुण्डीर व अन्य के वाद में मा0 लोकायुक्त उत्तराखण्ड द्वारा दिए गए निर्देषों के अनुपालन में एवं मा0 सुप्रीम कोर्ट मॉनेटरिंग कमेटी के द्वारा देहरादून शहर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कृत कार्यवाही की समीक्षा के अन्तर्गत दिए गए निर्देषों के अनुपालन में डीजल चालित विक्रम वाहनों को नये परमिट निर्गत करना प्रतिबंधित है, एवं इन वाहनों को एलपीजी से चालित वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरात आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–8 **दून विष्वविद्यालय से सहस्त्रधारा तक नगर बस सेवा आरम्भ करने के संबंध में विचार व आदेषः–**

श्री त्रिवेन्द सिंह रावत, माननीय कृषि मंत्री जी के पत्र दिनांक 07.10.08 द्वारा श्री उदय सिंह चंदेल, पार्षद वार्ड संख्या–37 नगर निगम देहरादून का पत्र दिनांक 04.10.08 प्रेषित किया गया था। इस पत्र में यह मांग की गई थी कि एमडीडीए कालोनी केदारपुरम के सामने रिस्पना नदी पर नये सेतु का निर्माण कर दिया गया है। पत्र में यह मांग की गई थी देहरादून नगर के अंतिम छोर पर बसी सचिवालय कालोनी, प्रांतीय निर्माण खण्ड कार्यालय तथा दून विष्वविद्यालय के साथ–2 अन्य क्षेत्रीय जनता जैसे केदारपुरम एमडीडीए, टीएचडीसी कालोनी, केदारपुर, चाणक्यपुरी, बंगाली कोठी चौराहा, मातामंदिर मार्ग स्थित नयागांव, माडल कालोनी, सरस्वती विहार, गणेष विहार, अजबपुर खुर्द, ओम विहार की लगभग 25–30 हजार आबादी बस सेवा की सुविधा से वंचित है पत्र में यह निवेदन किया गया था कि दून विष्वविद्यालय से करनपुर होते हुए सहस्त्रधारा तक बस सेवा चलाई जाए।

उपरोक्त के संबंध में मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र संख्या–159/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/08 दिनांक 18.11.08 द्वारा सर्वेक्षण आख्या प्रेषित की है जो निम्न प्रकार है–

1– दून विष्वविद्यालय से सहस्त्रधारा तक उक्त मार्ग की कुल लम्बाई लगभग–20 किमी0 है। दून विष्वविद्यालय से मोथरोवाला मार्ग होते हुए बाईपास पुलिस चौकी तक नवनिर्मित मार्ग की लम्बाई 2.6 किमी0

के लगभग है तथा उससे आगे माता मंदिर होते हुए धर्मपुर तक चौड़ीकरण किए गए मार्ग की लंबाई–2.00 किमी0 है।
2– निवनिर्मित मार्ग पक्का है तथा बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है। नवनिर्मित मार्ग पर सचिवालय कालोनी, गोविन्द पुरी चाणक्य, सरस्वती विहार, अजबपुरकला, ओमविहार आदि स्थान पड़ते हैं। उक्त मार्ग पर वर्तमान में जनता के शहर में आवागमन हेतु कोई साधन उपलब्ध नहीं है।
3– दून विष्वविद्यालय से सहस्त्रधारा तक नगर बस सेवा संचालित किये जाने से आईएसबीटी–परेडग्राउण्ड–सहस्त्रधारा नगर बस सेवा यूनियन द्वारा आपत्ति की जा सकती है। आईएसबीटी से बाईपास – धर्मपुर होते हुए सहस्त्रधारा तक नगर बस सेवा पूर्व से ही उपलब्ध है। अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए धर्मपुर, मातामंदिर, सरस्वती विहार, चाणक्यपुरी, दून विष्वविद्यालय क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पुरकुलगांव–मोथरोवाला अथवा डी0एल0 रोड–डिफेंस कालोनी मार्ग के वाहनों के परमिट में उक्त मार्ग का पृष्ठांकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत करना है कि पुरकुल गांव–मोथरोवाला मार्ग की लम्बाई 24 किमी है तथा इस मार्ग पर 09 परमिटों की संख्या निर्धारित है। डी0एल0रोड–डिफेंस कालोनी मार्ग की लम्बाई 15 किमी है तथा 19 परमिटों की संख्या निर्धारित है। धर्मपुर से माता मन्दिर–सरस्वती विहार–चाण्कयपुरी होते हुए दून विष्वद्यालय तक मार्ग की दूरी 4.6 किमी है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 9– <u>प्रेमनगर से ग्राम शुक्लापुर–अम्बीवाला तक यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में विचार व आदेष।</u>

प्रधान ग्राम पंचायत अम्बीवाला विकास खण्ड सहसपुर जिला देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 17.11.08 द्वारा यह सूचित किया है कि प्रेमनगर से ग्राम शुक्लापुर–अम्बीवाला की दूरी लगभग 04–05 किमी0 है। क्षेत्र वासियों को प्रतिदिन किसी न किसी कार्य से जैसे छात्र–छात्राओं को स्कूल/कॉलेज, रोजगार, चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक कार्यो के लिए प्रेमनगर या देहरादून जाना पड़ता है, परंतु यातायात की सुविधा नहीं होने के कारण कठिनांई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने निवेदन किया था कि क्षेत्र में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कार्यालय के पत्र संख्या–2071/आरटीए/दस–152/08 दिनांक 25.11.08

द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया था। उन्होंने अपने पत्र संख्या 171/प्रवर्तन/मार्गसर्वेक्षण/08 दिनांक 18.12.08 द्वारा निम्न आख्या प्रेषित की है:–

1– मार्ग पर प्रेमनगर–परवल की नगर बस सेवायें संचालित है, जो कि महेन्द्र चौक तक संचालित होती हैं। महेन्द्र चौक से शुक्लापुर की दूरी लगभग 1.0 किमी है।

2– परवल से होते हुए महेन्द्र चौक तक नगरबस सेवा संचालित है, किन्तु उससे आगे अम्बीवाला–आरकेडिया ग्रांट एवं मिठीबेडी आदि क्षेत्रों के लिए यातायात का कोई साधन नहीं है। उक्त मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित किये जाने की आवष्यकता है।

3– इसके अतिरिक्त प्रेमनगर से ठाकुरपुर, लक्ष्मीपुर होते हुए श्यामपुर तक भी यातायात का कोई साधन नहीं हैं। उक्त स्थानों की दूरी प्रेमनगर से 03–04 किमी है।

4– उक्त मार्गों पर प्रेमनगर परवल मार्ग की बसों का मार्ग विस्तार कर यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 10– अ– यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर नवनिर्मित मोटर मार्ग हनुमानचट्टी–जानकीचट्टी पर भारी वाहनों के आवागमन की स्वीकृती देने के संबंध में।

परिवहन कर अधिकारी–।। उत्तरकाषी ने अपने पत्र संख्या 449/प्रषासन/मार्ग–सर्वेक्षण/09 दिनांक 19.03.09 द्वारा सूचित किया है कि हनुमानचट्टी–जानकीचट्टी मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण दिनांक 19.03.09 को पुनः किया गया है। उन्होंने संयुक्त सर्वेक्षण की आख्या प्रेषित की है, जिसमें उनके साथ परगना मजिस्ट्रेट बड़कोट, अधिषासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0,बड़कोट अधिषासी अभियन्ता राष्ट्रीय नि0ख0लो0नि0वि0 बड़कोट सम्मिलित थे। सुंयक्त सर्वेक्षण की आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गई है–

दिनांक 19.03.09 को उपरोक्त मोटर मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण मेरे द्वारा निम्न प्रतिनिधियों के साथ किया गया। हनुमान चट्टी से 6.00 किमी तक नेषनल हाईवे द्वारा निर्माण किया गया है, इसी क्रम में 6.00 किमी से 8.80 किमी तक लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। सर्वेक्षण के उपरान्त हनुमान चट्टी से जानकीचट्टी तक का कच्चा मार्ग भारी मोटर वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त पाया गया। तद्नुसार आवष्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मार्ग को यातायात के लिए खोलने तथा मार्ग का पृष्ठांकन मार्ग सूची संख्या–1 व 4 के परमिटों में करने हेतु आदेष पारित करने की कृपा करें।

ब– **टिहरी जनपद में नवनिर्मित मोटर मार्गों तथा हल्के वाहन मार्गों को यातायात के लिए खोलने के संबंध में विचार व आदेषः–**

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), टिहरी ने अपने पत्र संख्या– 57/संयुक्त/मार्गसर्वेक्षण/08 दिनांक 07.03.08 द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 27.02.08 को कीर्तीनगर–बडियारगढ़ क्षेत्र में नवनिर्मित निम्नलिखित मोटर मार्गों/हल्का वाहन मार्गों का सर्वेक्षण लो0नि0वि0 के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया गया।

1– तेगड़–आछरी खुंड मोटर मार्ग–9 किमी0
2– गहड–देवगढ़ी–मोलघार हल्का वाहन मार्ग–3 किमी0
3– बडियारगढ़–घौडंगी–सौंराखाल मोटर मार्ग–16+12 किमी0
4– सुपाणा–धारी हल्का वाहन मार्ग– 6 किमी0
5– स्यालकुण्ड–मगरों–कोटी कच्चा मोटर मार्ग–3.80 किमी0
6– पी0 टी0 रोड– 27 किमी से नेल्डा कच्चा मोटर मार्ग हल्के वाहनों हेतु–3.0 किमी0
7– नई टिहरी से बुढोगी कच्चा मोटर मार्ग 3.00 किमी0
8– नई टिहरी–पांगरखाल मोटर मार्ग 4.675 कीमी
9– नागणी से भादूसैण मोटर मार्ग 5.00 कीमी
10– चामनी–सेमल्टा–बीड मोटर मार्ग 8.675 कीमी
11– थान–साबली–बमुण्ड मोटर मार्ग 1.50 कीमी
12– नागणी–वाया जखोत–सुदाडा मोटर मार्ग 4.50 कीमी
13– मण्डाई–जौल मोटर मार्ग 1.50 कीमी
14– सुरसिगधार–ज्ञानसू मोटर मार्ग 5.15 कीमी

सर्वेक्षण आख्या में कहा गया है कि वर्तमान में उपरोक्त मार्गों पर भारी वाहनों तथा हल्के वाहनों का संचालन हो रहा है। मार्ग पर कुछ आपत्तियां पायी गयीं है, जिनका निराकरण यातायात संचालन के साथ–साथ किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आपत्तियों के संबंध में अवगत करा

दिया गया है। उन्होंने उपरोक्त मार्गों को मार्ग के अनुसार भारी/हल्का वाहन संचालित करने की संस्तुति की है। भारी वाहन मार्गों का पृष्ठांकन मार्ग सूचि संख्या–1 में करने की संस्तुति की गई है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 11– **कुलड़ी–लक्सर–रूड़की मार्ग का विस्तार कुलड़ी से गंगाघाट–वालावाली पुल तक करने के संबंध में विचार व आदेष :–**

अध्यक्ष, कुलडी–लक्सर–रूड़की मार्ग बस ऑपरेटर यूनियन रूड़की ने अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 17.12.08 द्वारा निवेदन किया था कि कुलड़ी–लक्सर–रूड़की मार्ग को कुलड़ी से वालावाली–गंगाघाट पुल तक 08–किमी0 विस्तार किया जाए। इस संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या–2682/आरटीए/नौ–112/09 दिनांक 27.01.09 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार से इस मार्ग के सम्बन्ध में सर्वेक्षण आख्या मांगी गई थी। उन्होंने अपने पत्र संख्या–988/प्रवर्तन/कु0ल0रू0–वा0–मार्ग सर्वे/09 दिनांक 14.07.09 द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात् आख्या प्रेषित की है, जो निम्न प्रकार हैः–

1.मार्ग की लम्बाई, चौड़ाई, कच्चा, पक्का भाग–

मार्ग का सर्वे वालावाली गंगघाट से कुलड़ी तक किया गया। वालावाली गंगाघाट से 0.50 कि0मी0 का मार्ग कच्चा है। मार्ग की चौड़ाई 18 फीट है। 0.50 कि0मी0 के पश्चात मार्ग पक्का मार्ग है। चौड़ाई 18 फीट है। वालावाली गंगाघाट से प्रथम गांव डूमनपुरी–डूंगरपुर है। जिसकी दूरी 1.30 कि0मी0 है, मार्ग 18 फीट चौड़ा पक्का है। डूमनपुरी–डूगरपुर से वालावाली की दूरी 1.20 कि0मी0 है, मार्ग 18 फीट चौड़ा पक्का है। वालावाली से बुड़ी भगवानपुर की दूरी 0.60 कि0मी0 है, मार्ग 18 फीट चौड़ा पक्का मार्ग है। बुड़ी भगवानपुर कुलड़ी से रायसी मार्ग की दूरी 3.10 किमी है, मार्ग 18 फीट चौड़ा पक्का मार्ग है। रायसी से कुलड़ी तक की दूरी 1.30 किमी है। मार्ग 18 फीट चौड़ा पक्का मार्ग है, विवरण निम्न प्रकार है–

	लम्बाई	चौड़ाई	मार्ग की स्थिति कच्चा / पक्का
1. वालावाली गंगाघा से डूमनपुरी डूंगरपुर	1.80 किमी	18 फीट	0.5 किमी कच्चा व 1.30 किमी पक्का
2. डूमनपुरी–डूंगरपुर से वालावाली	1.20 किमी	18 फीट	सारा पक्का
3. वालावाली से बुड़ी भगवानपुर कुलड़ी	0.60 किमी	18 फीट	सारा पक्का
4. बुड़ी भगवानपुर से रायसी	3.10 किमी	18 फीट	सारा पक्का
5. रायसी से कुलड़ी	1.30 किमी	18 फीट	सारा पक्का
	कुल 8 किमी		

नोटः– मार्ग के दोनों ओर 3–3 फीट कच्चा मार्ग भी है,

1. वर्तमान में मार्ग पर यातायात के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। मार्ग पर 205 इंच व्हीलबेस की वाहनें अर्थात् बसें संचालित हो सकती हैं।
2. मार्ग का कोई भी भाग राष्ट्रीयकृत नहीं है।
3. मार्ग का सम्पूर्ण भाग तहसील लक्सर जिला हरिद्वार में ही है।
4. वर्तमान में इस 8.00 किमी के टुकडे पर यातायात का कोई साधन नहीं है। जबकि 8.00 किमी के टुकड़े पर पांच गांव पड़ते हैं जिनकी आबादी लगभग 7500–7600 की है। वालावाली में एक हाईस्कूल भी है।

अतः कुलड़ी–लक्सर–रूड़की मार्ग पर संचालित होने वाली वाहनों के परमिटों के मार्ग का विस्तार वालावाली गंगाघाट तक किया जाना जनहित में लाभप्रद होगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्ग विस्तार के संबंध में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 12– **रूड़की से पिरान कलियर–मानुवास–मजाहदपुर–बन्दरजूट मार्ग को स्टेज कैरीज वाहनों के संचालन हेतु वर्गीकृत/निर्मित करने के संबंध में विचार व आदेष :–**

श्री मोहम्मद शहजाद सदस्य विधानसभा तथा क्षेत्र के अन्य प्रतिनिधियों से इस आषय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे कि रूड़की से कलियर, मानुवास–मजाहदपुर–बंदरजूट मार्ग के मध्य काफी संख्या में गांव पड़ते हैं परंतु आने–जाने की सुविधा गांव वासियों के लिए नहीं है। इस संबंध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार से मार्ग की सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने पर मामले को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में मद संख्या–7 (अनु0) द्वारा विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित किए थे कि सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) से प्राप्त सर्वेक्षण आख्या का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि सर्वेक्षण आख्या अपूर्ण है। इस सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारी से सुस्पष्ट आख्या मांगी जाए, तदोपरान्त मामले को पुनः विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेषों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र दिनांक 20.01.09 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार को मार्ग का सर्वेक्षण कर पुनः सर्वेक्षण आख्या प्रेषित करने हेतु लिखा गया था। उन्होंने अपने पत्र संख्या–582/प्रवर्तन/मार्ग–सर्वे/09 दिनांक 02.06.09 द्वारा पुनः सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत की है जो निम्न प्रकार है–

1–मार्ग की कुल लम्बाई–28 किमी0 है व मार्ग की चौड़ाई रूड़की से सीधे हाथ नहर की पटरी गंग नहर कैनाल पुल तक 15 फीट एवं कैनाल कैनाल से आगे पिरान कलियर तक नहर के किनारे 12 फीट एवं कलियर से पुल पार भगवानपुर तिराहे तक 20 फीट एवं तिराने से सोहलपुर व अन्य गांव तक 12 फीट सड़क हैं वर्तमान में सड़क की हालत बहुत खराब है, गांव में खड़िन्चा बिछा हुआ है।

2–मार्ग पर पूर्व से ही हसनावाला–बिहारीगढ़–बंदरजूट–मानुवास–कलियर तक सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा स्वीकृत 11 स्थाई परमिटों पर बसें संचालित हैं, जो वर्तमान में संचालित है। इसके अतिरिक्त मिनी बसों को रूड़की से पिरान कलियर–बहादरादबाद–रोषनाबाद मार्ग हेतु सम्भागीय

परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा 35 अस्थाई परमिट जारी किए गए हैं, जिनका संचालन रोषनाबाद–बहादराबाद–पिरान कलियर–रूड़की तक है। मार्ग पर पूर्व से 166 इंच व्हीलबेस की बसें संचालित हैं और 166 इंच व्हीलबेस की वाहनों का संचालन उपयुक्त होगा।

3–मार्ग पिरान कलियर के बाद सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित राष्ट्रीयकृत मार्ग है केवल रूड़की–पिरान कलियर–बहादराबाद राष्ट्रीकृत मार्ग को पिरान कलियर में एक जगह क्रॉस करता है।

4–मार्ग पर पूर्व में जारी परमिटों पर बसों के संचालन की अनुमति प्राप्त है।

5–मार्ग के मध्य बसे गांव की आबादी का विवरण निम्न प्रकार है, जो ग्रामीणों द्वारा बताया गया हैः– गांव मुकटपुर–1200 से 1300 लगभग, सोहलपुर–2000 से 2500 लगभग, हदड़पीुर–1500 से 2000 लगभग, टकावरी–1500–2000 लगभग, फतेहपुर झिडियान–1000 से 1500 लगभग, कालूवास–500 से 700 लगभग, मानूवास–1500 से 2000 लगभग, दादूवास–300 से 500 लगभग, लाम–800 से 900 लगभग, मजाहरपुर व बन्दरजूट में लगभग–1800 से 2000 लगभग तक की आवादी है।

प्रष्नगत मार्ग पर पूर्व से स्थाई परमिट जारी हैं। वर्तमान सर्वे दिनांक 02.06.09 को हसनावाला –बिहारीगढ़–पिरान कलियर मार्ग से सम्बन्धित बसें मार्ग पर संचालित पाई गई। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों द्वारा बताया गया है कि यदि हसनावाला–बिहारीगढ़–पिरान कलियर मार्ग पर संचालित होने वाली बसों को रूड़की तक चला दिया जाए तो वहां की जनता इन बसों के माध्यम से रूड़की सीधे पहुंच जाएगी और उन्हें गाड़ी नहीं बदलनी पड़ेगी और न ही अलग से किराया देना पड़ेगा। हसनावाला–बिहारीगढ़–पिरान कलियर मार्ग का विस्तार परिचालन से रूड़की तक कर दिया गया है।

प्रष्नगत मार्ग पर अस्थाई स्टेज कैरीज परमिट देने के लिए कुछ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण परिषिष्ट–झ में दिया गया है।

स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) हरिद्वार ने उक्त प्रष्नगत् मार्ग का पुनः सर्वेक्षण कर अपने पत्र संख्या 148 दिनांक 06.11.09 द्वारा रूड़की–पिरान कलियर–मानुवास–मजाहदपुर–बन्दरजूट नया निर्मित करना उपयुक्त नहीं बताया गया है।

मद सं0–13– **गुरूकुल–नारसन–मंगलौर मार्ग का विस्तार रूड़की तक करने के सम्बन्ध में श्री भूपाल सिंह प्रबन्धक, किसान स्वतः शासित कॉ–ऑपरेटिव सोसाईटी ग्रा0 मंडाबली पो0 गुरूकुल नारसन जिला हरिद्वार के पत्र दिनांक 15.09.09 पर विचार व आदेष।**

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 के संकल्प संख्या–34 द्वारा गुरूकुल–नारसन–मोहम्मदपुर–नसीरपुर–हरचन्दपुर–निरजनपुर–राजौलीनगला–लिब्बरहेड़ी–मंगलौर मार्ग को मिनी बस सेवा चलाने हेतु "क" श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए दो परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी। प्राधिकरण में यह भी आदेष पारित किए थे कि मार्ग निर्धारण के सम्बन्ध में आवष्यक कार्यवाही की जाये। मार्ग निर्धारण होने तक प्रबन्धक किसान स्वतः शासित कॉ–आपरेटिस सोसाइटी को मिनी बस के दो स्थाई परमिट स्वीकृत किए जाते है। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेषों के अनुपालन में शासन को मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 68(3)(ग–क) के अन्तर्गत मार्ग निर्धारित करने के लिए निवेदन किया गया था। शासन की अधिसूचना संख्या 232/नौ/239/2009 दिनांक 10.06.09 द्वारा मार्ग को निर्धारित किया गया है।

प्रबन्धक किसान स्वतः शासित कॉ–आपरेटिव सोसाईटी ने यह भी निवेदन किया है कि समस्त षिक्षण स्कूल एवं संस्थान रूड़की में ही स्थापित हैं। अतः क्षेत्र की बालिकाओं की षिक्षा–दिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उनको गुरूकुल–नारसन से रूड़की तक मिनी बस परमिट स्वीकृत किया जाए अथवा दो–तीन थ्री व्हीलर के परमिट जारी किये जाये। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि मंगलौर से रूड़की मार्ग जिसकी दूरी 6 किमी है, राष्ट्रीयकृत मार्ग है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–14– **बहादराबाद–पिरान कलियर–रूडकी मार्ग पर अस्थाई सवारी गाडी परमिटों पर चल रही मिनी बसों का मार्ग विस्तार बहादराबाद से गठ–मीरपुर होते हुये रोशनाबाद तक करने एंव परमिटों की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष :–**

उपरोक्त मार्ग विस्तार के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं0–950/आरटीए/दस–152/08 दिनांक – 29–7–08 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी हरिद्वार से मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या देने हेतु कहा

गया था। उन्होंने अपने पत्र सं0–47/प्रवर्तन/मार्ग सर्वे/08 दि0–05–09–08 द्वारा सम्बन्धित मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रेषित की है , जो निम्न प्रकार है।

1– बहादराबाद से सीधे हाथ पर एक मार्ग है जो गॉव को जोडते हुये औरंगाबाद–रोशनाबाद तक जाता है।

2– मार्ग की लम्बाई बहादराबाद से गठमीरपुर–पूरनपुर–औरंगाबाद होते हुये 07 किमी0 है।

3– मार्ग कच्चा–पक्का दोनों तरह का है।

4– मार्ग पर बडी बसों का संचालन नही हो सकता है।

5– बहादराबाद–पिरानकलियर–रूडकी मार्ग का विस्तार गठ–मीरपुर होते हुये रोशनाबाद तक किया जाना एक और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा वही इन गॉव की जनता को यातायात का साधन भी उपलब्ध होगा। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि यदि उक्त मार्ग का विस्तार किया जाता है तो मार्ग पर परमिटों की संख्या में वृद्धि किया जाना भी उचित होगा। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्रष्नगत मार्ग पर वर्तमान में 36 अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये गये है।

पुरोहित आश्रम–रोषनाबाद बस आपरेटर एसोसिएशन ने अपने पत्र दि0–18–12–08 द्वारा उपरोक्त मार्ग विस्तार के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि उपरोक्त प्रकार मार्ग विस्तार करने से उनका मार्ग ओवरलेप हो रहा है। उन्होंने अपनी आपत्ति में यह भी कहा है कि मोटर गाडी अधिनियम की धारा–80 (3)

के अनुसार अस्थाई परमिट का मार्ग विस्तार नही किया जा सकता है तथा मार्ग विस्तार करना विधि विरूद्ध है।

उपरोक्त मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में मद संख्या–33 के अन्तर्गत विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित किए थे कि प्रस्तावित मार्ग विस्तार पुरोहित सेवाश्रम–रोषनाबाद मार्ग को आवेरलेप करता है अथवा नहीं इस संबंध में मार्ग का पुनः सर्वेक्षण करवा कर आख्या प्राप्त की जाए। इस संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या 230/आरटीए/दस–157/09 दिनांक 21.01.09 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार को मार्ग सर्वेक्षण कर पुनः आख्या प्रेषित करने को कहा गया था। उन्होंने अपने पत्र संख्या–57/प्रवर्तन/मार्गसर्वे–आख्या/09 दिनांक 20.07.09 द्वारा सूचित किया है कि गढ़मीरपुर गांव, बहादराबाद–पिरान कलियर–रूड़की मार्ग के मध्य है इसलिए उक्त मार्ग पर पूर्व से जारी अस्थाई परमिटों पर संचालित वाहनों को मार्ग विस्तार गढ़मीर पुर होते

हुए रोषनाबाद मुख्यालय तक किया जाना राजस्व/जनहित में लाभप्रद होगा, क्योंकि गढ़मीरपुर से रोषनाबाद के मध्य जो मार्ग है वह कच्चा व पक्का है और बड़ी वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त नहीं है। इसलिए लगभग 07 किमी0 के इस मार्ग भाग का विस्तार गठमीरपुर होते हुए रोषनावाद तक करने की सस्तुति की गई है।

प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–15(अ)– <u>मसूरी नगर क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों की सुविधा हेतु नगर बस सेवा मार्ग निर्धारित करने तथा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष :–</u>

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद मसूरी ने परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–1017 दिनांक 18.05.09 द्वारा सूचित किया है कि मसूरी नगर पालिका–65 वर्ग किमी0 क्षेत्र में स्थित है। ऐसी स्थिति में दूर–दराज के नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही हैं। उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा भी स्थानीय नागरिकों के आवागमन हेतु स्थानीय स्तर पर परिवहन की व्यवस्था नहीं की गई है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण नागरिकों को अपने रोजमर्रा के कार्य हेतु आने–जाने में धन तथा समय की बर्बादी होती है। नगर वासियों की सुविधा हेतु पालिका द्वारा प्रथम चरण में मिनी बस लगाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए पालिका को मिनी बस संचालन हेतु परमिट की आवष्यकता है। उक्त पत्र द्वारा उन्होंने अनुरोध किया है कि मसूरी नगर में बस सेवा चलाने हेतु पालिका को 02 मिनी बस के परमिट जारी करने की कृपा करें।

कार्यालय के पत्र संख्या–343/आरटीए/दस–152/09 दिनांक 16.05.09 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून को मसूरी नगर में नगर बस सेवा चलाने हेतु मार्गों का सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था। उन्होंने अपने पत्र संख्या–1390/प्रवर्तन/मार्ग <u>सर्वेक्षण/09</u> दिनांक 20.08.09 द्वारा मसूरी में नगर बस सेवा चलाने हेतु सहा0 अभियन्ता प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून, उप जिलाधिकारी, मसूरी तथा परिवहन कर अधिकारी–।, देहरादून की संयुक्त सर्वेक्षण आख्या प्रेषित की है। अपने पत्र द्वारा उन्होंने सूचित किया है कि मसूरी क्षेत्र की जनता को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत दो मार्गों पर बस सेवा संचालित किए जाने हेतु परमिट जारी करने का आनुरोध किया गया है। सर्वेक्षण आख्या निम्न प्रकार हैः–

1—**झड़ीपानी से लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रषासनिक अकादमी वाया माल रोड एवं किंक्रेट पैट्रोल पम्प—पिक्चर पैलेस मार्ग :—**

1. मार्ग की कुल दूरी लगभग 21 किमी0 है। मार्ग की चौड़ाई लगभग 06 किमी0 है तथा मार्ग पक्का है।
2. मार्ग पर 156 इंच व्हील बेस की बसों का संचालन किया जाना उपयुक्त होगा।
3. मार्ग पर झड़ीपानी से लाल बहादुर शास्त्री अकादमी की ओर पड़ने वाले मुख्य स्थान क्रमषः चूनाखाला, धोबीघाट, एम0पी0जी0 कॉलेज किंक्रेटग, लायब्रेरी, चार्लीविले एवं लाल बहादुर शास्त्री अकादमी हैं तथा पिक्चर पैलेस की ओर आर0के0 वर्मा मार्ग, बस स्टैण्ड, पिक्चर पैलेस हैं। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग पर बस सेवा संचालित करने से भट्टा गांव, नागदेवतर, बार्लोगंज, मोतीलाल नेहरू मार्ग, माल रोड तथा हरनाम सिंह मार्ग क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित होंगे।
4. मार्ग पर पड़ने वाले स्थानों के नाम एवं दूरी सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र बनाकर संलग्न किया जा रहा है।
5. उपरोक्त मार्ग मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मंसूरी की आख्या संलग्न है। मार्ग पर नगर बस सेवा संचालन की संस्तुति की जाती है।

2— **सुआखोली से झड़ीपानी वाया टिहरी बाई पास मार्ग :—**

1. मार्ग की कुल दूरी लगभग 24 किमी0 है। मार्ग की चौड़ाई लगभग—06 मीटर है तथा मार्ग पक्का है।

2. मार्ग पर 156 इंच व्हील बेस की बसों का संचालन किया जाना उपयुक्त होगा।
3. मार्ग पर सुआखोली से झड़ीपानी के मध्य सुआखोली, कपलानी, जबरखेत, बाटाघाट, लक्ष्मणपुरी, राजमंडी, सेलंग, आई0डी0पी0 एलेन स्कूल, वन विभाग कार्यालय, बार्लोगंज बाजार एवं झड़ीपानी आदि प्रमुख स्थान पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग पर बस सेवा संचालित करने से बालाहिसार स्कूल, नाभा होटल मोस्टरीम, हैप्पी गार्डन, सिकंदर हॉल, जे0पी0 होटल एवं सेंट जॉर्ज स्कूल झलकी, मछराला, नालीसरोना, दुर्माला, कोटली, मगरा (टिहरी जिला) रोहतुंग घाटी (टिहरी जिला) आदि क्षेत्र की जनता भी लाभान्वित होगी।

4. मार्ग पर सुआखोली से झड़ीपानी की ओर 1.8 किमी0 पर पुस्ता एवं पैराफिट वाल टूटी हुई है, जिसका निर्माण किया जाना अपेक्षित है।
5. मार्ग पर 2.5 किमी पर मार्ग खराब है। (डामर उखड़ी हई है) जिसको ठीक किया जाना आवश्यक है। मार्ग पर 6.9 किमी पर बरसात के कारण मार्ग की दांयी ओर जाना आवश्यक है। मार्ग पर 6.9 किमी0 पर बरसात के कारण मार्ग की दांयी ओर मलबा आ गया है, जो कि हटाया जाना आवश्यक है।
6. मार्ग पर 10 किमी पर वुडस्टाक स्कूल के पास नाली का निर्माण कार्य चल रहा है। मार्ग पर 11.5 किमी पर लैंढोर लिंक मार्ग है जो 12.8 किमी पर बस स्टॉप तक जायेगी।
7. मार्ग के 14.4 किमी पर मार्ग काफी संकरा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 4.3 मीटर है। मार्ग के दांयी ओर पक्का पहाड़ है, जिसका कटान संम्भव नहीं है। मार्ग की बांयी ओर गहरी खाई एवं घना वन क्षेत्र है। संकरे मार्ग की कुल दूरी लगभग 50 मीटर है। इस मार्ग पर एक समय में एक ही वाहन संचालित की जा सकती है। अतः मार्ग के दोनों ओर संकरे मार्ग का संकेतांक लगाया जाना आवश्यक है। यद्यपि लोक निर्माण विभाग द्वारा संकेतांक लगाये गये हैं, किन्तु वह संकरे पुल को प्रदर्षित करता है। अतः संकरे मार्ग का संकेतांक लगाया जाना अपेक्षित है।
8. मार्ग के 15.8 किमी पर यह मार्ग देहरादून–मसूरी मार्ग के किमी0–33 पर मिलता है।
9. मार्ग के 16.6 किमी पर मार्ग में गड्ढे बने हैं एवं डामर उखड़ी हुई है जिसका ठीक किया जाना नितान्त आवश्यक है।
10. मार्ग पर पड़ने वाले स्थानों के नाम एवं दूरी सहित मार्ग का कच्चा मानचित्र बनाकर संलग्न किया जा रहा है।
11. मार्ग मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सम्बन्ध में नगर पालिका मसूरी की आख्या संलग्न है।

12. मार्ग पर बिन्दु संख्या 04, 05, 07, एवं 09 में अंकित स्थानों पर पायी गयी कमियों को ठीक किये जाने के पश्चात् नगर बस सेवा संचालन की संस्तुति की जाती है।

जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह आवष्यक होगा कि उक्त मार्ग पर संचालित होने वाली बसों में अनिवार्य रूप से फॉग लाईटें लगी हों तथा कार्यरत अवस्था में हों। उपरोक्त मार्गों पर एम0डी0आर0, ओ0डी0आर0 एवं स्टेट हाईवे के अन्तर्गत पड़ने वाले भाग जिन पर कि परिवहन निगम की बस सेवायें एवं

अन्य बस सेवायें संचालित हैं, के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया मानचित्र संलग्न है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्गों को नगर बस सेवा मार्ग के रूप में वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ब)– **नगर पालिका परिषद नई टिहरी द्वारा जनहित में नई टिहरी नगर में 24 सीटर सिटी बस संचालित करने हेतु परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र।**

अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद नई टिहरी ने अपने पत्र संख्या–334/24सी सिटी बस/परमिट /09–10 दिनांक 02.04.09 द्वारा सचिव, परिवहन उत्तराखण्ड शासन, देहरादून से निवेदन किया है कि आम नागरिकों की मांग के अनुसार नगर पालिका नई टिहरी के क्षेत्रांतर्गत वे 24 सीटर सिटी बस के रूप में, सिटी बस को कोटि कालोनी–भागीरथी पुरम–बोराड़ी–मोलधार–एम0ब्लॉक–एफ0 ब्लॉक–एच0 ब्लॉक–जे0 ब्लॉक–के0 ब्लॉक–नई टिहरी–कोर्ट कम्पाउण्ड से बादषाही थौल–चम्बा तक संचालन करना चाहते हैं, जिससे पालिका की आय के साथ–साथ स्थानीय जनता को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी उक्त पत्र इस कार्यालय में अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के पत्र–1180/एसटीए/दस–8/09 दिनांक 12.05.09 के साथ संलग्नक के रूप में प्राप्त हुआ।

नगरपालिका परिषद नई टिहरी के उक्त पत्र के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्र संख्या 243/आरटीए अस्थाई'–परमिट/09 दिनांक 16.05.09 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नई टिहरी को उक्त आवेदित मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु लिखा गया। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी नई टिहरी ने अपने पत्र संख्या–49/मार्ग सर्वे/09 दिनांक 30.6.09 द्वारा मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण लो0नि0वि0 के अधिकारियो के साथ कर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई जो बिन्दुवार निम्नुसार हैः–

1. मार्ग पक्का है एवं मार्ग की लम्बाई 24 किमी0 है।

2. 166 सेमी व्हील बसे की बसे इस मार्ग पर संचालित की जा सकती हैं किन्तु जनसंख्या घनत्व एवं नागरिकों के आवागमन के दर की दृष्टि से 24 सीटर (मिनी बस) संचालित करना उपयुक्त होगा।
3. सिटी बस सेवा संचालन से लगभग–75 हजार नागरिकों को लाभ होने की सम्भावना है।
4. मार्ग पर अधिकतम 06 सिटी बसों के संचालन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

5– मार्ग का मानचित्र भी साथ मे संलग्न है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त उपरोक्त मार्ग का नगर बस सेवा मार्ग के रुप मे वर्गीकृत करने के सम्बन्ध मे आदेष पारित करना चाहे।

मद सं0–16– **<u>कौलीगढ़–विधान सभा नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार घण्टाघर होते हुए रेलवे स्टेषन तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।</u>**

सचिव, कौलागढ़–प्रेमपुर–माफी कल्याण समिति, कर्मचारी कल्याण समिति, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेषन तथा राजेन्द्र नगर रेजिडेण्ट वेलफेयर एसोसिएषन ने मांग की है कि कौलागढ़–विधान सभा मार्ग

का विस्तार आईपी चौक–किषन नगर–कनाट प्लेस–घण्टाघर होते हुए रेलवे स्टेषन–महन्त इन्द्रेष हॉस्पिटल तक किया जाये। इसके अतिरिक्त कारगी–पथरी बाग–विद्याविहार–आनन्द विहार–टीएचडीसी विस्थापित कालोनी के निवासियों द्वारा यह मांग की गई है उक्त मार्ग की बसों के मार्ग में कारगी से घण्टाघर मार्ग विस्तार किया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को घण्टाघर तक आने–जाने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त मार्ग विस्तार के सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून से मार्ग की सर्वेक्षण आख्या मांगी गई थी। उनके द्वारा दिनांक 21.10.2009 को सर्वेक्षण आख्या जो निम्न बिन्दुयों पर प्रस्तुत की गई है, निम्नवत् हैंः–

1. कौलागढ़–विधानसभा मार्ग की बसों का विस्तार ओ0एन0जी0सी0 चौक से घंटाघर–रेलवे स्टेषन करने से कौलागढ़, ओ0एन0जी0सी0, कैण्ट, राजेन्द्रनगर, यमुना कॉलोनी, कनाट प्लेस आदि क्षेत्रों के लोग लाभान्वित होंगे।

2. यह पाया गया कि उक्त क्षेत्र से काफी संख्या में लोग परेडग्राउण्ड, तहसील, प्रिंस चौक एवं रेलवे स्टेषन केलिए आवागमन करते हैं, किन्तु यातायात का कोई सुलभ साधन न होने के कारण उन्हें ऑटोरिक्षा आदि से इन स्थानों के लिए आना–जाना पड़ता है, जिसे कारण जनता द्वारा रेलवे स्टेषन तक बस सेवा की मांग की जा रही है।
3. अतः जनहित में कौलागढ़–विधानसभा मार्ग का विस्तार ओ0एन0जी0सी0 चौक से राजेन्द्रनगर, किषननगर चौक, बिन्दाल पुल–कनाट प्लेस–घण्टाघर–एस्लेहॉल–परेडग्राउण्ड दर्षनलाल चौक–प्रिंस चौक–रेलवे स्टेषन होते हुए लाल पुल तक किया जाना उचित होगा। विस्तारीकरण के फलस्वरूप मार्ग पर जनहित में दोनों ओर से 50–50 प्रतिषत बसों का संचालन किया जाना उपयुक्त होगा।
4. विस्तार किये जाने वाले मार्ग की कुल दूरी लगभग 7.00 किमी है।
5. विस्तार किये जाने वाले मार्ग का कच्चा मानचित्र संलग्न है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सख्या–17– **निम्नलिखित मार्गो को 7 या 8 सीट तक की हल्की वाहनो के संचालन के लिए ठेका गाड़ी के रुप मे वर्गीकृत/निर्मित करने के सम्बन्ध मे।**

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र संख्या–2198/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2009 दिनाक–21.10.09 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि मार्ग सर्वेक्षण के दौरान निम्न मार्गो पर किसी प्रकार की यातयात सुविधा उपलब्ध नही पाई गई। क्षेत्रीय लोगों ने मौके पर अवगत कराया कि वर्षों से क्षेत्र में कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि क्षेत्रीय लोगों/विद्यार्थियों/मजदूरों/सरकारी कर्मचारियों को दैनिक रूप से आवागमन करना होतो है।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून निम्न मार्गों पर हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने मार्गवार परमिटों की संख्या, निर्धारित करने, मार्ग वर्गीकृत/निर्मित करने की संस्तुति की गई हैं

क्र0सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी किमी में	संस्तुति के आधार पर निर्धारित परमिटों की संख्या
1.	बुल्लावाला–झबरावाला–डोईवाला–भनियावाला–लालतप्पड़	16	10
2.	खैरी–धर्मचक–लालतप्पड़	17	10
3.	नकरौंदा–हर्रावाला–जोगीवाला–नेहरूग्राम–अजबपुर–डाण्डा–नेहरूकालोनी–सुभाष रोड–राजपुर	20	10
4.	विकासनगर –लांघा वाया अम्बाड़ी–बरोटी वाला	20	10
5.	हरर्बटपुर–धर्मावाला–कुंजाग्राण्ट–कुल्हाल	20	10
6.	हरबर्टपुर–सहसपुर–सेलाकूई–हरिपुर–बहादुरपुर–प्रेमनगर	33	10
7.	विकासनगर–बरोटीवाला–सहसपुर–सेलाकूई	20	10
8.	जुड्डो–हथियारी–विकासनगर–वाया लांघा	25	10
9.	बिष्ट गांव–मंगौल पंडित वाड़ी–गजियावाला–सप्लाई–आईएसबीटी	16	10
10	प्रेमनगर–चौकी धैलास	18	10
11.	अनारवाला –नया गांव–हाथीबड़कला–परेडग्राउण्ड–ईसी रोड–आईएसबीटी	17	10
12.	प्रेमनगर –गोरखपुर–बड़ौंवाला–षिमलावाईपास–आईएसबीटी	13	10
13.	विकासनगर–हरबर्टपुर–गुडरिच–पृथ्विपुर–लक्ष्मीपुर–सहसपुर–सेलाकूई	21	10
14.	विकासनगर–तौली–पपड़ियान–लांघा–सहसपुर–हरबर्टपुर वाया नौरोपुल	23	10
15	हरबर्टपुर–धर्मावाला–सभावाला	18	10
16	कालसी–अम्बाड़ी–मेहूवाला–पृथ्विपुर–बरोटीवाला–सहसपुर–सेलाकूई	26	10
17	सैन्य कालोनी–नलकंठ विहार–कालीदास चौक(पथरिया पीर)–आईएसबीटी–दून विष्वविद्यालय वाया दिलाराम–प्रिंस चौक–सहारनपुर चौक–बाई पास रोड	16	20

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–18– **थानाकैण्ट–आईएसबीटी–रिस्पना–धर्मपुर–सुभाष रोड–परेडग्राउण्ड नगर बस सेवा मार्ग का विस्तार थानाकैण्ट से सप्लाई डिपो तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

थानाकैण्ट–परेडग्राउण्ड–बल्लुपुर–जी0एम0एस0 रोड–आईएसबीटी–रिस्पनापुल–धर्मपुर की लम्बाई 18 किमी है तथा वर्तमान में मार्ग पर 9 बसें स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों पर चल रही हैं। मार्ग के अध्यक्ष ने इस मार्ग विस्तार थानाकैण्ट से सप्लाई डिपो तक करने हेतु दिनांक 11.12.08 को प्रार्थना दिया था। इस सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रतर्वन) देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या देने हेतु कहा गया था। उन्होंने अपने पत्र संख्या 2193/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2009 दिनांक 21.10.09 द्वारा सर्वेक्षण आख्या निम्न बिन्दुओं पर प्रेषित की है जो निम्न प्रकार है–

1. थानाकैण्ट से सप्लाई डिपो क्षेत्र के मध्य सैनय क्षेत्र है, जहां से अधिक संख्या में लोग आई0एस0बी0टी0 आदि स्थानों के लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कैण्ट से सप्लाई डिपो के मध्य आर्मी हॉस्पिटल, सब एरिया कैनटीन, गोरखा स्कूल, बीजापुर गेस्ट हाउस, केन्द्रीय विद्यालय आदि पड़ते हैं। जहां विभिन्न स्थानों से लोग स्कूल पढ़ने, चिकित्सालय में उपचार एवं कैन्टीन से सामान ले जाने के लिए आते हैं। यदि थानाकैण्ट–परेडग्राउण्ड वाया आई0एस0बी0टी0 मार्ग की बसों का विस्तार सप्लाई डिपों तक किया जाता है तो जनता को आवागमन में सुविधा होगी। उक्त मार्ग पर सप्लाई डिपो से आगे सैन्य निवास है तथा उससे आगे गुच्छूपानी पर्यटक स्थल है। अतः उचित होगा की मार्ग का विस्तार थानाकैण्ट से सप्लाई डिपो होते हुए अनारवाला चौक तक कर दिया जाये।
2. विस्तार किये जाने वाले मार्ग की कुल दूरी लगभग 4.6 किमी है।
3. मार्ग विस्तार करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विस्तार के विरुद्ध प्रधान देहरादून घंघौड़ा कैण्ट–जन्तनवाला मार्ग मोटर ऑपरेटर एसोसिएषन ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 12.10.09 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है कि सप्लाई डिपो–थानाकैण्ट मार्ग उनके मार्ग का भाग है तथा वर्तमान में उनके मार्ग पर 20 बसें संचालित हो रही हैं, जिससे जनता की मांगी पूर्ति हो रही है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद संख्या–19– **याचिका संख्या–749/2009 तथा याचिका संख्या–785/2009 में पारित मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेष दिनांक 21.08.09 के अनुपालन में देहरादून डोईवाला मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष।**

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत एक सिटी बस मार्ग देहरादून –डोईवाला (परेडग्राउण्ड–दर्षनलालचौक–प्रिन्सचौक–धर्मपुर–रिस्पनापुल–जोगीवाला–मियांवाला–कुवांवाला–लच्छीवाला–डोईवाला) निर्मित व वर्गीकृत है, जिसकी लम्बाई–20 कीमी है। उक्त मार्ग पर आरटीए देहरादून द्वारा अपनी बैठक दिनाक 14.5.05 मे 15 परमिटो की संख्या निर्धारित करते हुए मार्ग पर 15 स्थाई सिटीबस स्टेज कैरीज परमिट स्वीकृत किये गये थे, जिसमे से 14 प्रार्थियो द्वारा परमिट प्राप्त किये गये थे, एक प्रार्थी द्वारा परमिट प्राप्त नही किया गया । दो प्रार्थियो सर्वश्री प्रदीप कुमार व जसबीर सिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देषो के अनुपालन मे उक्त मार्ग पर स्थाई स्टेज कैरीज परमिट जारी किया गया व एक प्रार्थी श्री अतुल कुमार सिघल को माननीय एसटीए(टी)उत्तराखण्ड देहरादून के निर्देषानुसार परमिट जारी किया गया। इस प्रकार मार्ग पर प्राधिकरण की बैठना दिनांक 27.12.08 तक 17 वाहने संचालित थी।

उक्त मार्ग पर स्थाई स्टेज कैरीज परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो पर आरटीए द्वारा समय से विचार न करने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल मे दो प्रार्थियो द्वारा याचिका संख्या–1496/08–श्री एस0के0 श्रीवास्तव तथा याचिका संख्या–1503/08–श्रीमती तेजेन्द्र कौर बनाम आरटीए दायर की गई थीं। मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेष दिनांक 29.09.08 द्वारा याचियों के प्रार्थनापत्रों का निस्तारण 3 माह के अन्दर करने के आदेष पारित किए थे। इन आदेषों के अनुपालन में उक्त मार्ग पर स्थाई परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो को विचार व आदेष हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनाक 27.12.08 मे मद संख्या–12 के अन्तर्गत विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने प्रार्थनापत्रों पर विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किये थे।

''मद संख्या–12 के अन्तर्गत देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे श्री एसके श्रीवास्तव व श्रीमती तेजेन्द्र कौर द्वारा दायर याचिका संख्या– 1496/एमएस/08 तथा याचिका संख्या–1503/एमएस/08 मे माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेष दिनाक 29.9.08 के अनुपालन मे उपरोक्त मार्ग यपर स्थाई सवारी परमिट हेतु यप्राप्त याकचकाकर्त्ताओ तथा

अन्य प्रार्थियो केक प्रार्थना पत्रो को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया। इस मार्ग पर 255 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनका विवरण परिषिष्ट 'क' मे दिया गया है। इस सम्बन्ध मे श्री एसके श्रीवास्तव प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होने अवगत कराया कि मिथिलेष गर्ग के केस के पैरा नं0–6 का हवाला देते हुए कहा कि प्रष्नगत मार्ग पर परमिट जारी किये जा सकते है। मार्ग के आपरेटर श्री मनमोहन सिह विष्ट ने इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि मार्ग पर परमिट देने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो को स्थगित किया जाय।

प्राधिकरण ने प्रष्नगत प्रकरण पर गम्भीरता से विचार किया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि परिषिष्ट 'क' तथा अनुपूरक सूमची मे उल्लिखित सभी प्रार्थियो को देहरादून–डोईवाला नगर बस मार्ग का एक स्थाई परमिट इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि परमिट नई वाहन से ही प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृत परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनाक–31.3.09 तक प्राप्त किया जा सकता है। तत्पष्चात स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी, यह भी प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि स्वीकृत परमिट पर संचालित वाहन का प्रतिस्थापन एक वर्ष से पूर्व स्वीकृत नही किया जायेगा।''

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेषों के अनुपालन में प्रष्नगत मार्ग पर 46 स्थाई स्टैज कैरीज परमिट जारी किए गए थे।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के उक्त आदेषो के विरुद्ध मार्ग के ऑपरेटर सर्वश्री मनमोहन सिह बिष्ट व जसबीर सिह द्वारा निगरानी संख्या–1/09 व 2/09 माननीय राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के समक्ष दायर की गई थी। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त निगरानियों मे दिनाक 15.05.09 को 4 प्रार्थियो को परमिट स्वीकृति के आदेष यथावत रखते हुए, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा संकल्प संख्या–12 में पारित शेष प्रार्थियों को परमिट स्वीकृति का आदेष दिनाक 27.12.08 को निरस्त कर दिया गया था। न्यायाधिकरण के इन आदेषों के अनुसार प्रष्नगत मार्ग पर जारी 46 परमिट निरस्त हो गये हैं।

माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेषों के विरुद्ध सर्वश्री तेजेन्द्र सिंह रावत व विनोद चन्दोला द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका संख्या–749/एमएस/09 व 785/एमएस/09 दायर की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोनो याचिकाओं को अपने आदेष दिनाक 21.8.09 द्वारा

निस्तारित करते हुए, माननीय राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के दिनांक 15.05.09 को सही माना गया है। मा0 उच्च न्यायालय ने आदेष पारित किए हैं कि आरटीए याचिकाकताओं के प्रार्थनापत्रों पर नये सिरे से नियमानुसार विचार कर सकती है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष का मुख्य अंष निम्न प्रकार हैः–

(7) All the three respondents filed their separate counter affidavits in which respondents No.2 and 3, who were revisionists before the S.T.A.T., have reiterated the same grounds on which the ranting of 267 permts was challenged in the revisions. In the counter affidavit filed on behalf of R.T.A. the same objections are reiterated as stated by them before the S.T.A.T.. Said objections have already been mentioned above.

(8) Before further discussions, it is pertinent to metion here the relevant provisions of law applicable to the case. Chapter-V of the Motor Vehicles Act, 1988, contains provisions relating to control of transport vehicles, aan Chapter-VI of the Act provides special provisions relating to State Transport undertakings. Section 98 of the Act provides that provisions contained in Chapter VI have overriding effect over the provisions contained in Chapter-V. Section 70 (which is one of Section of Chapter V) of the Moto Vehicles Act, 1988 provides that a person is entitled to make application for permit in respect of a Stage Carriage. It requires that in the application following points be mentioned :-

(a) the route or routes or the area or areas to which the application relates;
(b) the type and seating capacity of each such vehicle;

(c) the minimum and maximum number of daily trips proposed to be provided and the time-table of the normal trips.
(d) The number of vehicles intended to be made for the housing, maintenance and repair of the vehicles, for the comfort and convenience of passengers and for the storage and safe custody of luggage;

(e) the arrangements intended to be made for the housing, maintenance and repair of the vehicles, for the comfort and convenience of passengers and for the storage and safe custody of laggage;

(f) such other matters as may be prescribed.

Section 71 of the Act provides procedure by which the Regional Transport Authority has to process the application for granting the licence. Sub section (2) of said Section empowers R.T.A. to refuse to grant a stage carriage permit, if it appears from any time-table furnished that the provisions of the Act relating to speed at which vehicles may be driven are likely to be contravened. Sub section (3) of Section 71 of the Act empowers the State Government and R.T.A., if so directed by the Central Government, to limit the number of stage carriages operating in city routes and the State / R.T.A. may reserve certain permits for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Section 90empowers State Transport Appellate Tribunal to exercise revisional powers in respect of the non-appealable orders passed by State Transport Authority of Regional Transport Authority. In the present case S.T.A.T. has exercised its revisional powers under said Section.

(9) It is admitted to theparties that the city route in question is part of the nationalized route notified vide Notification No. 1037-T/XXXB/61, dated 16-03-1961. It is also not disputed between the parties that the said scheme of nationalization was modified before creation of State of Uttarakhand vide Notification No. 2134/XXX-2-14-240/93, dated 05-08-1994 (applicable to the State of Uttarakhand), which empowered the R.T.A. to treat the city route within the radius of 20 Kms. of Dehradun.

(10) The R.T.A. in their counter affidavit has stated that when the impugned resolution was passed on 27-12-2008, 17 Buses of stage carriage permits were operating in the route in question. It is further stated in the counter affidavei filed on behalf of R.T.A. that though all the

applications were accepted in the resolution, but there was condition to lift the permits by 31st March 2009, and it was only 46 private bys operators who actually got permits as others did not turn up. On behalf of petitioners and respondent No. 1 it is argued that in fact not mire than 46 permits were issued in respect of the city route between Dehradun and Doiwala. On this ground, it is contended on behalf of the petitioners and R.T.A. that the grounds taken by the present respondents No. 2 and 3 challenging the resolution No. 12 passed by R.T.A. in its meeting held on 27-12-2008 were wrong as actual permits issued were not 267 but only 46.

(11) In reply to this, on behalf of respondents No. 2 and 3 is is argued that though only 46 applicants are said to have truned up to collect their permits by 31st March 2009, after purchasing their Bus, but the action on the part of R.T.A. to sanction permits to all the applicants is clearly unjustified, improper and against the Rulea. It is contended on behalf of respondents No. 2 and 3 that function of R.T.A. is quasi judicial in nature. There is no explanation from the side of the petitioners of from the side of the R.T.A., Dehradun, that as to how 267 applications for permits were accepted when Resolution No. 12 related to total number of 255 applications. There is no explanation from the side of the petitioners and R.T.A. as to how the requirements mentioned in Section 70 to be disclosed in the applications were met. After weighing the rival contentions of the parties, this Court finds that the R.T.A. has acted in the present case totally in violation of Rules in passing the resolution dated 27-12-2008. I agree with learned S.T.A.T that the public roads cannot be made racing grounds endangering human lives, by issuing permits arbitrarily to any number of applicants. To achieve the object of the Motor Vehicles Act, 1988, and its Rules, fresh survey should have been done to examine the number of vehicles required to be increased on a particular route in addition to he State Transport Buses plying over it, which appears to have not been done.

XXX XXX XXX

(15)For the reasons as discussed above, these two writ petitions are liable to be dismissed. The same are dismissed with the observation that the R.T.A. may consider afresh the applications of the patitioners for issuance of the permits in the impugned route Dehradun-Doiwala but only in accordance with law".

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–71(3)(ए) मे बस मार्ग पर परमिटो की संख्या एवं आरक्षण निर्धारित करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान हैः–

(a) The State government shall, if so directed by the Central Government haivg regard to the number of vehicles, road conditions and other relevant matters, by notification in the Official Gazette, direct a State Transport Authority and Regional Transport Authority to limit the number of stage carriages generally of of any specified type, as may be fixed and specified in the notification, operating on city routes in towns with a population of not less than five lakhs.

(b) Where the number of stage carriages are fixed under clause (a), the Government of the State shall reserve in the State certain percentage of stage carriage permits for the scheduled castes and the scheduled tribes in the same ratio as in the case of appointments made by direct recruitment to public services in the State.

बस मार्गों पर परमिट स्वीकृत करने के लिए मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा (80)(2) के अन्तर्गत प्राविधान निम्नवत् हैः–

(2) A Regional Transport Authority, State Transport Authotity of any prescribed authority referred to in sub-section (1) of section 66 shall not ordinarily refuse to grant an application ofr permit of any kind made at any time under this Act:

Provided that the Regional Transport Authority, State Transport Authority or any prescribed autionrity referred to in sub-section (1) of section 66 may summarily refuse the application if the grant of any permit in accordance with the application would have the effect

of increasing the number of stage carriages as fexed and specified in a notification in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (3) of section 71 or of contract carriages as fixed and specified in ta notification in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (3) of section 74 :

Provided further that where a Regional Transport Authority, State Transport Authority of any prescribed authority referred to in sub-section (1) of section 66 reduses an application for the grant of a permit of any kind under this Act, is shall give to the applicant in writing its reasons for the redusal of the same and an opportunity of being heard in the matter.

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा बनाई गयी नगर बस योजना मे भी यह प्राविधान है कि प्रत्येक मार्ग पर बसों की क्या आवष्यकता होगी इसका निर्धारण स्थानीय प्रषासन के सर्वे तथा मार्ग पर यात्रियों की उपलब्धता/लोड फैक्टर के आधार पर किया जाएगा। उक्त प्रष्नगत मार्ग पर 27.12.08 से पूर्व जारी स्थाई स्टेज कैरीज परमिटो के अतिरिक्त और नये स्टेज कैरीज परमिट जारी करने हेतु सयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा दिनाक 26.12.08 को सर्वेक्षण किया गया था, सयुक्त सर्वेक्षण समिति ने मार्ग पर 05 स्थाई स्टेज कैरीज परमिट और जारी करने की संस्तुति की गई थी। जिनमे से 04 परमिट माननीय राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून के आदेष दिनाक 15.5.09 द्वारा स्वीकृत किये हैं। ज्ञातव्य है कि मार्गों के सर्वेक्षण हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेष दिनांक 24.02.1999 के संकल्प संख्या–6 के द्वारा पुलिस प्रषासन तथा परिवहन अधिकारियों की संयुक्त सर्वेक्षण समिति गठित की गई है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 749/09 तथा 785/09 में पारित आदेषों के अनुपालन में देहरादून–डोईवाला मार्ग पर बसों की अति0 आवष्यकता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया गया था। संयुक्त सर्वेक्षण आख्या दिनांक 21.10.09 को दी गयी है, जो निम्न प्रकार हैः–

संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–1797 दिनांक 04.09.2009 के अनुक्रम में देहरादून–डोईवाला मार्ग पर संचालित नगर बसों का जिला प्रषासन, पुलिस एवं परिवहन विभाग की गठित संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

- दिनांक 05.09.2009 को किये गये संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान मार्ग पर कुल 16 बसें संचालित पायी गयीं।

- सर्वेक्षण के दौरान मार्ग पर संचालित नगर बस सेवा ओं तथा लोड फैक्ट की स्थिति निम्नवत् थी :

कुल संचालित बसें	देहरादून से डोईवाला जाने वाली बसें		डोईवाला से देहरादून आने वाली बसें	
	कुल सेवायें	सीटिंग क्षमता से अधिक सवारियां पाई गयी सेवाओं की संख्या	कुल सेवायें	सीटिंग क्षमता से अधिक सवारियां पाई गयी सेवाओं की संख्या
16	74	49	73	39

- सर्वेक्षण के दौरान स्थानीय जनता द्वारा बताया गया कि वाहन स्वामियों द्वारा सर्वेक्षण को देखते हुए वाहनों में क्षमता के अनुसार ही सवारियों को बैठाया जा रहा है, जबकि अन्य दिनों इन वाहनों में 70–80 सवारियां बैठी रहती हैं।
- उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए देहरादून–डोईवाला मार्ग पर संचालित बसों के सर्वेक्षण हेतु दिनांक 30.09.09, 01.10.09, 05.10.09, 06.10.2009 एवं 07.10.09 को अलग–अलग समय में सर्वेक्षण कराया गया। उक्त तिथियों में सर्वेक्षणोपरान्त वाहनों में लोड फैक्टर की स्थिति निम्नवत रहीः–

सर्वक्षण की तिथि	समय	कुल चैक बसों की संख्या	सीटिंग क्षमता से अधिक सवारियां पाई गयी बसों की संख्या
30.09.2009	प्रातः 8.30 से 9.45 तक	16	11
01.10.2009	प्रातः 7.00 से 8.45 बजे तक सांय 4.00 से 6.00 बजे तक	31	30

05.10.2009	दोहपर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक	13	13
06.10.2009	टपराहन 2.00 बजे से 4.00 बजे तक	15	10
07.10.2009	पूर्वाहन 10.00 बजे से 12.00 बजे तक	15	13

विभिन्न तिथियों में अलग–अलग समय पर किये गये उक्त सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि मार्ग पर संचालित अधिकांष बसों में सीटिंग क्षमता से अधिक सवारियां ले जाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त नियमित चैकिंग

के दौरान भी मार्ग पर संचालित अधिकांष नगर बसों एवं विक्रम वाहनों में सीटिंग क्षमता से अधिक सवारियां पायी गयी हैं। स्पष्ट है कि मार्ग पर संचालित बस सेवायें बढ़ाये जाने की मांग की गयी है।

- क्षेत्रीय जनता की मांग पर ग्राम प्रधान कुंआवाला एवं ग्राम प्रधान हर्रावाला द्वारा भी उक्त मार्ग पर बस सेवायें बढ़ाये जाने की मांग की गयी है।
- सर्वेक्षण के दौरान मार्ग पर संचालित बसों की फोटोग्राफी एवं विडियों ग्राफी भी की गई है, जिससे स्पष्ट है कि मार्ग पर संचालित बसों में क्षमता से अधिक सवारियों का वहन किया जा रहा है। अतः अक्त मार्ग पर 20 अतिरिक्त बस सेवायें बढ़ाये जाने की संस्तुति की जाती है।
- सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि कुंआवाला, हर्रावाला एवं डोईवाला से जौलीग्राण्ट तक के लिए स्थानीय लोगों को विक्रम वाहनों से जौलीग्राण्ट तक जाना पड़ता है। इस हेतु उन्हें को ले जाने में रूचि नहीं दिखाई जाती है। जौलीग्राण्ट मार्ग पर औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज, हिमालयन हॉस्पिटल तथा एयरपोर्ट स्थिहैं। जौलीग्राण्ट क्षेत्र में काफी आबादी है। इस मार्ग पर संचालित परिवहन निगम की बसों में अत्यधिक सवारियां भरी रहती हैं, जिससे सवारियों को आवागमन में असुविधा होती है। शहर के विभिन्न स्थानों से उपचार के लिए हिमालय हॉस्पिटल जाने वाली जनता भी इन ओवरलोड वाहनों में यात्रा करके जाती हैं, जिससे उनको काफी असुविधा होती है। उक्त मार्ग पर भी देहरादून से बस सेवाओं की आवष्यकता है।अतः उक्त आवष्यकता को देखते हुए जहित में यह उचित होगा कि देहरादून–डोईवाला मार्ग का विस्तार जौलीग्राण्ट तक रि दिया जाये तथा मार्ग पर 15 अतिरिक्त बसों का संचालन आई0एस0बीटी0 से रिस्पना पु, जोगीवाला होते हुए डोईवाला–जौलीग्राण्ट एयरपोर्ट तक किया जाये। एयरपोर्ट के पास वाहनों के मुड़नेके लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। आई0एस0बी0टी0 से जौलीग्राण्ट की दूरी 25 किमी के लगभग है।

- उपरोक्त के अतिरिक्त सहस्रधारा मार्ग, रायपुर, थानो, लाडपुर, रिंग रोड, जोगीवाला क्षेत्र से काफी संख्या में कर्मचारियों को डोईवाला, भानियावाला एवं जौलीग्राण्ट जाना पड़ता है तथा कई लोगों को उपचार एवं अध्ययन हेतु हिमालयन हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है, जिसके लिए कोई सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है तथा उन्हें वाहनें बदल–बदल कर उक्त स्थानों के लिए जाना पड़ता है। अतः उक्त आवष्यकता को ध्यान में रखते हुए जनहित में 12 बसों का संचालन उक्त मार्ग पर किया जाना उपयुक्त होगा, जिससे की स्थानीय जनता को आवागमन की पर्याप्त सुवधा उपलब्ध हो सके। देहरादून से सर्वेचौक, लाडपुर, रिंगरोड होते हुए डोईवाला–जौलीग्राण्ट तक उक्त मार्ग की दूरी लगभग 25 किमी है।

- इसके अतिरिक्त डोईवाला–दूधली मार्ग जिसकी दूरी डोईवाला से 8.7 किमी के लगभग है, पर चांदमारी, कुड़कावाला, सत्तोवाला, माधोवाला, बुल्लावाला, सिमलाग्राण्ट, नागल ज्वालापुर, पुरकलग्राम नागल बुलंदावाला, दूधली गांव पड़ते हैं, तक यातायात का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में लगभग 35000 की आबादी रहती है। उक्त क्षेत्र से सरकारी कर्मचारी एवं छात्र डोईवाला के लिए आते हैं। यातायात का कोई साधान न होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अतः जनुसविधा को ध्यान में रखते हुए उचित होगा कि देहरादून–डोईवाला मार्ग की कुछ बसों का संचालन दूधली तक किया जाये।

उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध प्रबन्ध निदेषक उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने अपने पत्र संख्या 1774 दिनांक 31.08.09 द्वारा आपत्ति की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि देहरादून–डोईवाला मार्ग देहरादून–ऋषिकेष–नरेन्द्रनगर अधिसूचित मार्ग का भाग है। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 2134/30–94–240/93 दिनांक 05.08.1994 से राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित नगर बस सेवा के संचालन की प्रतिपूर्ती निजी बस सेवा संचालन से करने हेतु राष्ट्रीयकरण की स्कीम संषोधन किया गया था अर्थात् नगर बस सेवा मार्ग पर सड़क परिवहन निगम की बसों के साथ–2 निजी बसें भी संचालित हो सकेंगी। इस अधिसूचना में नगर बस सेवा के लिए 20 किमी अर्धव्यास क्षेत्र सम्मिलित होने का यह आषय कदापि नहीं है कि जिस मार्ग पर नगर बस सेवा सड़क परिवहन निगम

द्वारा संचालित नहीं की जा रही थी और जो मार्ग नगर बस सेवा के लिए अधिसूचित नहीं थे, उन मार्गों को देहरादून से 20 किमी तक की दूरी तक के हिस्से को नगर बस सेवा का हिस्सा मान लिया जाये। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि देहरादून–डोईवाला मार्ग को नगर बस सेवा मार्ग के रूप में स्थापित करना अवैध है और इस मार्ग पर 05.08.1994 की अधिसूचना का सहारा लेकर परमिट निर्गत किया जाना अपने अधिकार क्षेत्र से वाहन जाकर अवैध निर्णय लेना है। उन्होंने अनुरोध किया है कि देहरादून–डोईवाला मार्ग को नगर बस सेवा मार्ग मानने की भ्रांति को शुद्ध करें और इस मार्ग पर निजी क्षेत्र की बसों को परमिट निर्गत न किए जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त मार्ग के परमिट धारक श्री मनमोहन सिंह बिष्ट तथा श्री जसवीर सिंह द्वारा भी प्रष्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेष दिनांक 21.08.09 के अनुपालन में आपत्ति की गई है। उन्होंने अपनी आपत्ति में कहा है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष 21.08.09 के अनुसार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण नगर बस मार्गों पर सर्वेक्षण के उपरान्त परमिटों की सख्यां मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 71(3)(ए) के अन्तर्गत निर्धारित करने के पश्चात् ही परमिट स्वीकृत कर सकती है। उन्होंने अपनी आपत्ति में यह भी कहा है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष दिनांक 21.08.09 का अनुपालन विधिसम्मत रूप से राष्ट्रीयकरण योजना में निर्धारित फैरों के अनुसार परमिट स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है।

उक्त मार्ग पर याचिकाकर्ताओं द्वारा परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों का विवरण परिषिष्ट "ट" में दिया गया है। अतः प्राधिकरण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त याचिकाओं में पारित आदेषों का अवलोकन करने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दिए गए ऑबजर्वेषन के अनुसार मार्ग पर परमिटो की संख्या एवं आरक्षण का निर्धारण एवं अन्य बातो पर विचारोपरान्त प्रार्थना पत्रो पर आदेष पारित करनें की कृपा करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रष्नगत मार्ग पर कुछ नये स्थाई/अस्थाई परमिटों के प्रार्थनापत्र भी प्राप्त हुए हैं। जिनके विवरण परिषिष्ट "ठ" व "ड" में दिया गया है। प्राधिकरण इन प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में भी विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 20— **निम्नलिखित दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के स्थाई परमिटों के विरूद्ध मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा—86 के अन्तर्गत कार्यवाही पर विचार व आदेषः—**

पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल ने अपने पत्र संख्या आर—18/09 दिनांक 06.05.09 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 20.04.09 को बस संख्या यूपी07सी—3594, घनसाली से ऋषिकेष जाते समय पैन्युला नामक स्थान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 34 व्यक्ति सवार थे। इनमें से 5 लोगों को गंभीर चौंटें आई थीं तथा शेष लोंगो को मामूली चौट आई। **यह दुर्घटना चालक द्वारा वाहन को लापरवाही और तेज गति से चलाने के कारण घटित हुई।** दुर्घटना स्थल पर सड़क सीधी एवं काफी चौड़ी होने के बावजूद भी यह दुर्घटना हुई। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि वाहन स्वामी की जिम्मेदारी है कि बस जैसी पब्लिक परिवहन व्यवस्था जिम्मेदार चालक के सुपुर्द करें। वाहन स्वामी द्वारा इस प्रकार की लापरवाही से वाहन चलाने तथा परमिट शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण उन्होंने वाहन के परमिट संख्या पीएसटीपी—2460 को निरस्त करने की संस्तुति की है। उक्त संबंध में वाहन स्वामी श्री नत्थी सिंह पुत्र विषन सिंह विस्थापित क्षेत्र पथरी पो0 पथरी जिला हरिद्वार को कार्यालय के पत्र संख्या —224/आरटीए/पीएसटीपी—2460/09 दिनांक 16.05.09 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने तथा दुर्घटना की तिथि को वाहन में कार्यरत् चालक का नाम पता तथा लाईसेन्स संख्या से अवगत कराने हेतु कहा गया था, परंतु उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0 21— **विभिन्न माध्यमों से षिकायत प्राप्त होने पर परमिट धारकों के विरूद्ध धारा—86 के अन्तर्गत जारी नोटिसों पर विचार व आदेष ।**

1— श्री प्रेम सिंह नेगी का विक्रम टैम्पो वाहन संख्या यूए07एल0—2411 के विरूद्ध श्री गोविन्द सिंह नेगी मुख्य सहायक परिवहन कार्यालय देहरादून द्वारा यह षिकायत की गई है कि दिनांक 06.03.09 को वे इस वाहन में रिस्पना पुल से कनक चौक के लिए सवार हुए। दर्षन लाल चौक पहुंच कर चालक जबरदस्ती सारी सवारियों को उतारने लगा। जब उन्होंने चालक से कनक चौक तक छोड़ने को कहा तो चालक बदतमीजी पर उतर आया और अभद्र शब्दों का प्रयोग करने लगा और कहने लगा मैं आगे नहीं जाऊँगा जो करना है कर लेना। कार्यालय के पत्र संख्या —2992/आरटीए/टैम्पो 866/09 दिनांक 17.03.09 द्वारा वाहन

स्वामी से स्पष्टीकरण मांगा गया था परमिट धारक ने अपने पत्र दिनांक 20.03.09 द्वारा सूचित किया है कि अगर अन्जाने में गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहते तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे।

अतः प्राधिकरण षिकायतकर्ता तथा परमिट धारक को सुनने के पश्चात् मामले में आदेष पारित करने की कृपा करें।

2– श्री चुन्नी लाल का विक्रम टैम्पो वाहन संख्या यूए07–एन–8734 के विरूद्ध श्री राजीव कक्कड़ माजरा देहरादून ने षिकायत की है कि दिनांक 13.03.09 को उनकी पत्नी सांय 5.30 बजे तहसील चौक से विक्रम में बैठकर ब्राह्मणवाला चौक निरंजनपुर तक आई। विक्रम चालक ने उनकी पत्नी से निर्धारित से अधिक किराया मांगा, विरोध करने पर उसने उनकी पत्नी से बदतमीजी व गाली–गलौच की, जिससे वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गये जिस कारण से उनकी पत्नी बहुत आहत हुई। उन्होंने विक्रम चालक के विरूद्ध आवष्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

कार्यालय के पत्र संख्या–3032/आरटीए/टैम्पो–3750/09 दिनांक 18.03.09 द्वारा वाहन स्वामी से षिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण देने तथा चालक का नाम पता सूचित करने हेतु कहा गया था। परमिट धारक श्री चुन्नी लाल ने अपने पत्र दिनांक 01.04.09 द्वारा सूचित किया है कि इनके चालक ने कोई अभद्रता की हो तो उसके लिए वे माफी चाहते हैं तथा यह भी आष्वासन दिया है कि भविष्य में कोई षिकायत का मौका नहीं देंगे।

अतः प्राधिकरण षिकायतकर्ता तथा परमिट धारक को सुनने के पश्चात् मामले में आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–22 **मोटर गाड़ी अधिनियम,–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही पर विचार व आदेष।**

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक–15.07.03 में यह निर्णय लिया गया था कि ठेका परमिटों मैक्सी कैब/टैक्सी परमिटों से आच्छादित वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लघंन करने अथवा ओवरलोडिंग का अपराध पाये जाने पर प्रथम अपराध प्रषमित किया जाए तथा द्वितीय अपराध में परमिट का

निलम्बन एवम् तृतीय अपराध में परमिट के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। निम्न प्रकरण में पूर्व में किए गए प्रथम चालान को प्रषमित किया जा चुका है तथा द्वितीय चालान अनिस्तारित है।

क्रम सं0	स्वामी का नाम	परमिट नं0 व वाहन सख्या	चलानिंग अधिकारी पद नाम व चालान का दिनांक	चालान की स्थिति	अभियोगों का पूर्ण विवरण
1.	श्री विनय गुप्ता	टी–पीसीओपी–4632 यूए09–5779 टैक्सी	1–स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) देहरादून 24.07.2009 2–थानाध्यक्ष, कालसी	निस्तारित अनिस्तारित	02–सवारी ओवर लोड 02–सवारी ओवर लोड
2.	श्रीमती मधु जुवोठो	टैम्पो–4267 यूए07–ए–1507 टैम्वसे	1–स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) देहरादून 22.04.04 2–स0स0प0अ0 देहरादून 03.02.09	निस्तारित अनिस्तारित	04–सवारी ओवर लोड 04–सवारी ओवर लोड
3.	श्री विजय कुमार	टैम्पो–4130 यूपी07–जे–2418 टैम्पो	1–स0स0प0अ0(प्रवर्तन) देहरादून 02.02.09 2–क्षेत्राधिकारी विकासनगर 03.08.09	अनिस्तारित अनिस्तारित	04–सवारी ओवर लोड 04–सवारी ओवर लोड
4.	श्री अजीम अहमद	टैम्पो–3602 यूए07–क्यू–7815 टैम्पो	1–यातायात निरीक्षक, देहरादून 16.07.08 2–स0स0प0अ0(प्रवर्तन) देहरादून 28.03.09	निस्तारित अनिस्तारित	04–सवारी ओवर लोड 04–सवारी ओवर लोड बीमा समाप्त है
5.	श्री नत्थु सिंह	टैम्पो–333 यूए07–एस–0166 टैम्पो	1–स0स0प0अ0(प्रवर्तन) देहरादून 27.02.08 2–स0स0प0अ0(प्रवर्तन) देहरादून 08.07.08	निस्तारित अनिस्तारित	04–सवारी ओवर लोड 03–सवारी ओवर लोड
6.	श्री संजय शर्मा	टैम्पो–2827 यूए07–ए–9755	1–क्षेत्राधिकारी यातायात, देहरादून 25.08.06	निस्तारित	04–सवारी ओवर लोड

		टैम्पो	2–क्षेत्राधिकारी यातायात, देहरादून 30.04.07	अनिस्तारित	04–सवारी ओवर लोड
7.	श्री कुरबान अली	पीएसटीपी–1608 यूए07–एच–0450 ब्स	1–स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) उ0काषी 19.07.08 2–यातायात निरीक्षक कालसी 12.08.09	अनिस्तारित अनिस्तारित	04–सवारी ओवर लोड 04–सवारी ओवर लोड

मद सं0–23 **मोटर गाड़ी अधिनियम,–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत एक ही जुर्म में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर परमिटों के विरूद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेषः–**

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.07.03 में यह निर्णय लिया गया था कि ठेका परमिटों/मैक्सी कैब/टैक्सी परमिटों से आच्छादित वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लघंन करने अथवा ओवरलोडिंग का अपराध पाये जाने पर प्रथम अपराध प्रषमित किया जाए तथा द्वितीय अपराध में परमिट का निलंबन एवं तृतीय अपराध में परमिट के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। प्रष्नगत प्रकरण में पहले दो चालान निस्तारित हो चुके हैं तथा तृतीय चालान अनिस्तारित है।

क्रम सं0	स्वामी का नाम	परमिट नं0 व वाहन सख्या	चलानिंग अधिकारी का पद नाम व चालान का दिनांक	चालान की स्थिति	अभियोगों का पूर्ण विवरण
1.	श्री मोहन लाल	टैम्पो–2509 यूए07–एल–2643	1–स0स0प0अ0(प्रवर्तन) देहरादून, दिनांक–11.10.07 2–स0स0प0अ0(प्रवर्तन) देहरादून, दिनांक–12.02.09 3–स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) देहरादून दिनांक–17.02.09	निस्तारित निस्तारित संख्या–आरटीए/09 दिनांक–10.11.09	02–सवारी ओवर लोड 03–सवारी ओवर लोड 05–सवारी ओवर लोड

मद सं0–24(अ) – **श्री देवेन्द्र पुत्र श्री आर0 कुमार निवासी 203/10 रामबाग कालोनी रूड़की को छुटमलपुर केन्द्र के परमिट नं0 2197 के स्थान पर रूड़की केन्द्र का स्थाई टैम्पो परमिट जारी करने के समबन्ध में प्रार्थनापत्र।**

श्री देवेन्द्र पुत्र श्री आर0 कुमार निवासी 203/10 रामबाग कालोनी रूड़की जिला हरिद्वार ने दिनांक 16.10.09 को इस कार्यालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि उनको दिनांक 30.07.1995 से 02.07.2000 तक की अवधि के लिए आरटीए देहरादून द्वारा छुटमलपुर केन्द्र का टैम्पो परमिट नं0 2197 जारी किया गया था। उक्त परमिट आरटीए सहारनपुर द्वारा दिनांक 03.07.2000 से 02.07.2005 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया था जिस पर वाहन संख्या यूपी10–बी–0585 मॉडल–1995 संचालित है। वाहन वर्तमान में परमिट न होने के कारण हरिद्वार परिवहन कार्यालय में समर्पण अवस्था में है, क्योंकि छुटमलपुर केन्द्र दिनांक 09.11.2000, उत्तराखण्ड राज्य के पुनर्गठन की तिथि से उत्तर प्रदेष में चला गया है। वाहन के उत्तराखण्ड में पंजीकृत होने एवं परमिट छुटमलपुर केन्द्र का होने के कारण नवीनीकरण नहीं किया गया है।

वाहन स्वामी ने दिनांक 16.10.09 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी उक्त वाहन संख्या यूपी10–बी–0585 के छुटमलपुर केन्द्र के परमिट नं0 टैम्पो–2197 (300/सहारनपुर) को निरस्त करते हुए वाहन को रूड़की केन्द्र का नया स्थाई टैम्पो परमिट स्वीकृत करनें की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ब)– **श्रीमती पूनम पत्नी श्री विनोद पाल निवासी मंगलौर हरिद्वार को छुटमलपुर केन्द्र के परमिट नं0 टैम्पो–2047 के सीन पर रूड़की केन्द्र का स्थाई टैम्पो परमिट जारी करने के समबन्ध में प्रार्थनापत्र।**

श्रीमती पूनम पत्नी श्री विनोद पाल निवासी मंगलौर हरिद्वार ने दिनांक 16.10.09 को इस कार्यालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि उनको दिनांक 05.04.1995 से 04.04.2000 तक की अवधि के लिए आरटीए देहरादून द्वारा छुटमलपुर केन्द्र का टैम्पो परमिट नं0 2047 जारी किया गया था। जिस पर वाहन संख्या यूएचसी–0111 मॉडल–1995 संचालित है। वाहन वर्तमान में परमिट न होने के कारण हरिद्वार परिवहन

कार्यालय में समर्पण अवस्था में है, क्योंकि छुटमलपुर केन्द्र दिनांक 09.11.2000, उत्तराखण्ड राज्य के पुनर्गठन की तिथि से उत्तर प्रदेष में चला गया है। वाहन के उत्तराखण्ड में पंजीकृत होने एवं परमिट छुटमलपुर केन्द्र का होने के कारण नवीनीकरण नहीं किया गया है।

वाहन स्वामी ने दिनांक 16.10.09 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी उक्त वाहन संख्या यूएचसी–0111 के छुटमलपुर केन्द्र के परमिट नं0 टैम्पो–2047 को निरस्त करते हुए वाहन को रूड़की केन्द्र का नया स्थाई टैम्पो परमिट स्वीकृत करनें की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(स)– **श्री रमेष कुमार पुत्र श्री हरेन्दर लाल कक्कड़ बंगाली मंदिर रोड, ऋशिकेष छुटमलपुर केन्द्र के परमिट नं0 240एसआरई के सीान पर रूड़की केन्द्र का स्थाई टैम्पो परमिट जारी करने के समबन्ध में प्रार्थनापत्र।**

श्री रमेष कुमार पुत्र श्री हरेन्दर लाल बंगाली मंदिर रोड, ऋशिकेष ने दिनांक 16.10.09 को इस कार्यालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि उनको दिनांक 06.07.1994 से 05.07.2004 तक की अवधि के लिए आरटीए सहारनपुर द्वारा छुटमलपुर केन्द्र का टैम्पो परमिट नं0 240एसआरई जारी किया गया था। जिस पर वाहन संख्या यूपी07–डी–6591 मॉडल–1993 संचालित है। वाहन वर्तमान में परमिट न होने के कारण हरिद्वार परिवहन कार्यालय में समर्पण अवस्था में है, क्योंकि छुटमलपुर केन्द्र दिनांक 09.11.2000, उत्तराखण्ड राज्य के पुनर्गठन की तिथि से उत्तर प्रदेष में चला गया है। वाहन के उत्तराखण्ड में पंजीकृत होने एवं परमिट छुटमलपुर केन्द्र का होने के कारण नवीनीकरण नहीं किया गया है।

वाहन स्वामी ने दिनांक 16.10.09 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी उक्त वाहन संख्या यूपी07–डी–6591 के छुटमलपुर केन्द्र के परमिट नं0 टैम्पो–240/सहारनपुर को निरस्त करते हुए वाहन को रूड़की केन्द्र का नया स्थाई टैम्पो परमिट स्वीकृत करनें की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(द)– **श्री एच0एस0 रावत पुत्र श्री बी0एल0 रावत ज्वालापुर हरिद्वार को छुटमलपुर केन्द्र के परमिट नं0 260दे0दून के सीन पर रूड़की केन्द्र का स्थाई टैम्पो परमिट जारी करने के समबन्ध में प्रार्थनापत्र।**

श्री एच0एस0 रावत पुत्र श्री बी0एल0 रावत ज्वालापुर हरिद्वार ने दिनांक 16.10.09 को इस कार्यालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि उनको दिनांक 21.10.1994 से 20.10.1999 तक की अवधि के लिए आरटीए देहरादून द्वारा छुटमलपुर केन्द्र का टैम्पो परमिट नं0 260 जारी किया गया था। उक्त परमिट आरटीए सहारनपुर द्वारा दिनांक 21.10.1999 से 20.10.2004 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया था जिस पर वाहन संख्या यूपी10–ए–8294 मॉडल–1994 संचालित है। वाहन वर्तमान में परमिट न होने के कारण हरिद्वार परिवहन कार्यालय में समर्पण अवस्था में है, क्योंकि छुटमलपुर केन्द्र दिनांक 09.11.2000, उत्तराखण्ड राज्य के पुनर्गठन की तिथि से उत्तर प्रदेष में चला गया है। वाहन के उत्तराखण्ड में पंजीकृत होने एवं परमिट छुटमलपुर केन्द्र का होने के कारण नवीनीकरण नहीं किया गया है।

वाहन स्वामी ने दिनांक 16.10.09 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी उक्त वाहन संख्या यूपी10–ए–8294 के छुटमलपुर केन्द्र के परमिट नं0 टैम्पो–260 देहरादून को निरस्त करते हुए वाहन को रूड़की केन्द्र का नया स्थाई टैम्पो परमिट स्वीकृत करनें की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(प)– **मैसर्स योगी लीजिंग एण्ड फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड अण्डर कण्ट्रोल श्री नन्द किषोर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया हरिद्वार छुटमलपुर केन्द्र के परमिट नं0 1972/137एसआरई के सीन पर रूड़की केन्द्र का स्थाई टैम्पो परमिट जारी करने के समबन्ध में प्रार्थनापत्र।**

मैसर्स योगी लीजिंग एड फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड अण्डर कण्ट्रोल श्री नन्न किषोर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया हरिद्वार ने दिनांक 16.10.09 को इस कार्यालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि उनको दिनांक 27.07.1999 से 26.07.2004 तक की अवधि के लिए आरटीए सहारनपुर द्वारा छुटमलपुर केन्द्र का टैम्पो परमिट नं0 137एसआरई जारी किया गया था। जिस पर वाहन संख्या यूपी10–ए–7895 मॉडल–1994 संचालित है। वाहन वर्तमान में परमिट न होने के कारण संचालित नहीं हो पा रही है। छुटमलपुर केन्द्र उत्तराखण्ड राज्य

के गठन की तिथि से उत्तर प्रदेष में चला गया है। वाहन के उत्तराखण्ड में पंजीकृत होने एवं परमिट छुटमलपुर केन्द्र का होने के कारण नवीनीकरण नहीं किया गया है।

वाहन स्वामी ने दिनांक 16.10.09 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी उक्त वाहन संख्या यूपी10–ए–7895 के छुटमलपुर केन्द्र के परमिट नं0 टैम्पो–137/सहारनपुर को निरस्त करते हुए वाहन को रूड़की केन्द्र का नया स्थाई टैम्पो परमिट स्वीकृत करनें की कृपा करें।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–25– **निम्नलिखित विक्रम टैम्पो/ऑटोरिक्षा परमिटों के विरुद्ध मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86(घ) के अन्तर्गत परमिटों को निरस्त करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर का गठन वर्श 1998 में किया गया था। हरिद्वार जनपद इससे पूर्व देहरादून सम्भाग के अन्तर्गत था। वर्श 1998 में इस जनपद को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर में सम्मिलित किया गया था। हरिद्वार तथा रूड़की केन्द्रों से देहरादून कार्यालय द्वारा जारी परमिटों की पत्रावलियां सहारनपुर कार्यालय को हस्तान्तरित कर दी गई थी। वर्श 2000 में उत्तराखण्ड राज्य का गठन होने के प्ष्चात् हरिद्वार जनपद पुनः सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के अन्तर्गत आ गया है। निम्नलिखित परमिट धारकों को देहरादून कार्यालय द्वारा जारी परमिट समाप्त हो जाने के प्ष्चात् उनके द्वारा सहारनपुर कार्यालय से इस आषय से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए गए थे कि उनके परमिटों का नवीनीकरण परमिट समाप्ती से 5 वर्शों के लिए सहारनपुर कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। उन्होंने निवेदन किया था कि उनके परमिटों को आगामी 5 वर्श के लिए नवीनीकरण कर दिया जाए। कार्यालय द्वारा इन परमिटों का नवीनीकरण प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर करने के प्ष्चात् सहारनपुर कार्यालय को परमिटों के नवीनीकरण का सत्यापन करने हेतु निवेदन किया गया था। सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर ने अपने पत्र संख्या 184/आरटीए/2009 दिनांक 07.03.09 द्वारा सूचित किया है कि इन परमिटों का नवीनीकरण सहारनपुर कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है।

सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, सहारनपुर द्वारा परमिटों के नवीनीकरण की पुश्टि नहीं होने के पष्चात् कार्यालय द्वारा परमिट धारको को धारा–86(घ) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए हैं कि आप द्वारा

प्रस्तुत अभिलेख संदिग्ध पाया गया है, जिससे यह स्पश्ट हो जाता है कि आपके द्वारा परमिट कपट या दुर्व्यपदेषन द्वारा प्राप्त किया गया है। परमिट धारकों को 15 दिन के अन्दर संदिग्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में स्पश्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। नोटिस की प्रतिलिपि सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार का इस निर्देष के साथ प्रेशित की गई है कि वाहन संचालित पायी जाने पर थाने में बन्द करने की कार्यवाही करें। इन निर्देषों के अनुसार उनके द्वारा कुछ वाहनों को बन्द कर दिया गया है। परमिट धारकों तथा उनको जारी नोटिसों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	परमिट धारक का नाम	परमिट सं0 व वैधता	केन्द्र का नाम	वहन संख्या	नोटिस सं0 व दिनांक
1.	श्री रियासत पुत्र श्री अजीज, 24 बनखण्डी ग्राम, ऋशिकेष	टैम्पो–1829, 02.10.2013	रूड़की	यूके07–टीसी–0258	1878 दि0–03/10–09–09
2.	श्री वेद प्रकाष पुत्र श्री धूम सिंह ग्रा0 भैरी महावतपुर पो0 मिलापनगर, रूड़की।	टैम्पो–1891, 14.02.2014	रूड़की	यूके–08–टीए–0370	1879 दि0–03/10–09–09
3.	श्री सोहनवीर सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, अषोक नगर, रूड़की।	टैम्पो–1860, 11.11.2013	रूड़की	यूके08–टीए–0316	1010, दि0–15–05–09/ ,29–07.09
	परमिट धारक ने सूचित किया है कि उक्त परमिट उनके नाम वर्श 2008 में हस्तान्तरित हुआ है। पूर्व में जो भी आख्या प्रस्तुत की गई है वह पूर्व परमिट धारक द्वारा दी गयी है। इस सम्बन्ध में उनको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने निवेदन किया है कि पूर्व परमिट धारक द्वारा किए गए कार्य के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करना उचित नहीं है। पूर्व परमिट धारक के किसी अवैधानिक कार्यवाही का षुल्क/षास्ती जमा करने को वे तैयार है।				
4.	श्री इरफान पुत्र श्री अब्दुल वाहिद, म0नं0–10 ग्रा0 बिझौली, रूड़की।	टैम्पो–1881, 27.11.2009	रूड़की	यूके08–टीए–0325	1011 दि0–15–05–09/ 29–07–09

परमिट धारक ने सूचित किया है कि उक्त परमिट उनके नाम वर्श 2008 में हस्तान्तरित हुआ है। पूर्व में जो भी आख्या प्रस्तुत की गई है वह पूर्व परमिट धारक द्वारा दी गयी है। इस सम्बन्ध में उनको कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने निवेदन

किया है कि पूर्व परमिट धारक द्वारा किए गए कार्य के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करना उचित नहीं है। पूर्व परमिट धारक के किसी अवैधानिक कार्यवाही का षुल्क/षास्ती जमा करने को वे तैयार है।

5.	श्री सूर्य प्रताप पुत्र श्री इन्द्र देव ग्रा0 व पो0 संदेष नगर, कनखल जिला हरिद्वार।	टैम्पो–1922, 30.11.2013	रूड़की	यूके08–टीए–0331	1012 दि0–15–05–09
	उपरोक्त परमिट के सम्बन्ध में सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर ने अपने पत्र संख्या 973/आरटीए/विविध/2009 दिनांक 05.10.09 द्वारा सूचित किया है कि परमिट का नवीनीकरण 22.04.99 से 21.04.04 तक किया गया था, परन्तु परमिट धारक ने दिनांक 10.08.99 को निरस्तीकरण हेतु जमा कर दिया था।				
6.	श्री नौषाद अली पुत्र श्री अख्तर अली, मो0 पांवधोई ज्वालापुर, हरिद्वार	टैम्पो –2069, 14.11. 2013	हरिद्वार	यूके08–टीए–0313	1009 दि0–15–05–09/ 27–07–09
	उपरोक्त परमिट के सम्बन्ध में सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण सहारनपुर ने अपने पत्र संख्या 973/आरटीए/विविध/2009 दिनांक 05.10.09 द्वारा सूचित किया है कि परमिट का नवीनीकरण 22.04.99 से 21.04.04 तक किया गया था, परन्तु परमिट धारक ने दिनांक 10.08.99 को निरस्तीकरण हेतु जमा कर दिया था।				
7.	श्री गुलसनम पुत्र श्री उमर दराज, 133, पुरानी सब्जी मंडी, ज्वालापुर, हरिद्वार।	टैम्पो–1831, 17.10.2013	रूड़की	यूके08–टीए–0322	1013, दि0–15–05–09

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त परमिट धारकों में से सर्वश्री सूर्य प्रताप, श्री इरफान, श्री नौषाद अली तथा श्री गुलसनम ने धारा–86 के नोटिसों के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका संख्या 1668/09 दायर की है। इस याचिका में मा0 न्यायालय ने दिनांक 07.10.09 को आदेष पारित किए हैं, जिनका मुख्य अंष निम्न प्रकार हैं।

List the petition in the week commencing 9th November, 2009. By that time the respondents may file counter affidavit.

In the meantime the respondents are at liberty to take final decision in the matter. However, till the final decision is taken in the matter no coercive action shall be taken against the petitioners.

It is also made clear that if at the later stage it is found that the permits have been obtained by the petitioners on the basis of fake and forged documents, costs shall be imposed on them.

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–26– **मैसर्स टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स कारपोरेषन ऋषिकेष के अन्तर्गत संचालित बसों के चालानों के सम्बन्ध में अध्यक्ष टी0जी0एम0ओ0सी के पत्र दिनांक 14.10.09 पर विचार व आदेष।**

अध्यक्ष टी0जी0एम0ओ0 ऋषिकेष ने अपने दिनांक 14.10.09 द्वारा सूचित किया है कि इस अपनी वाहनों के चालानों का निस्तारण प्राधिकरण की बैठक में कराना चाहते हैं।इसलिए चालानों को प्राधिकरण की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि उनकी कंपनी के अन्तर्गत संचालित होने वाली निम्नलिखित बसों के चालान राश्ट्रीयकृत मार्ग पर संचालित पाये जाने पर किये गये हैं।

क्र0 सं0	चालान की तिथि	चालान करने वाला अधिकारी	वाहन संख्या / परमिट संख्या	चालान के विवरण
1.	05.02.07	स0स0प0अ0 (प्रव0) हरिद्वार	यूपी24–ए–0380 / 2967	1–वाहन का संचालन राश्ट्रीयकृत मार्ग पर कर रहे हैं। 2–आर0सी0 नहीं दिखाया। 3–डी0एल0 नहीं दिखाया।
2.	27.03.08	–तदैव–	यूपी24–ए–0385 / 3023	1–वाहन में 40 सवारी जो टुरिस्ट हैं ऋशिकेष के लिए ले जा रहे हैं। वाहन में टूरिस्ट हरिद्वार से बैठाये गये हैं। वाहन का संचालन राश्ट्रीयकृत मार्ग पर पाया गया है। 2–यात्रियों की लिस्ट नहीं है।
3.	11.05.06	–तदैव–	यूए07–आर–8358 / 2676	1–वाहन का परमिट प्रस्तुत नहीं किया। 2–निर्धारित मार्ग से संचालन नहीं किया जा रहा है। संचालन राश्ट्रीयकृत मार्ग पर पाया गया।3–डी0एल0 नहीं दिखाया।
4.	04.11.06	–तदैव–	यूपी08–2977 / 2440	1–वाहन का संचालन हरिद्वार ऋशिकेष राश्ट्रीयकृत मार्ग पर कर रहे हैं। परमिट से भिन्न क्षेत्र में वाहन चला रहे हैं। 2–साइड में नम्बर नहीं है। 3–रिफलेक्टर नहीं लगे हैं।
5.	19.12.08	–तदैव–	यूए12–2499 /	1–वाहन परमिट षर्तों के विरुद्ध ऋशिकेष–हरिद्वार वाया

			2633	रायवाला मार्ग पर सवारी लेकर आ रहा है। प्रदूशय प्रमाणपत्र 30.11.08 को समाप्त है। 3–डी0एल0 प्रस्तुत नहीं किया।
6.	05.07.08	स0स0प0अ0 (प्र0) देहरादून	यूके10–पीए–0014 /3125	1–वाहन मार्ग सूची संख्या–4 के परमिट से आच्छादित है, परन्तु वाहन का संचालन देहरादून क्षेत्र मसूरी रोड में किया जा रहा है जोकि परमिट षर्तों के विरुद्ध है।
7.	21.03.09	–तदैव–	डीएल1पीबी–5766 /3114	1–वाहन सेट नं0–1 के परमिट से आच्छादित है जबकि वाहन का संचालन देहरादून–मसूरी मार्ग पर किया जा रहा है, जो परमिट षर्तों के विरुद्ध है। 2–वाहन में देहरादून से मसूरी हेतु रिजर्व पार्टी ले जाई जा रही है।
8.	21.03.09	–तदैव–	डीएल1पीबी–6935 /2905	1–वाहन सेट नं0–1 के परमिट से आच्छादित है जबकि वाहन का संचालन देहरादून–मसूरी मार्ग पर किया जा रहा है, जो परमिट षर्तों के विरुद्ध है। 2–वाहन में देहरादून से मसूरी हेतु रिजर्व पार्टी ले जाई जा रही है।
9.	26.03.09	–तदैव–	यूए09–5439 / 2334	1–वाहन सेट नं0–1 के परमिट से आच्छादित है जबकि वाहन का संचालन प्रेमनगर–देहरादून मार्ग पर किया जा रहा है।2–वाहन में रिजर्व पार्टी आईएमए देहरादून से मसूरी ले जाई जा रही है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–27(क) **श्री एच0के0 अग्रवाल के देहरादून केन्द्र के विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–1733 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र पर विचार व आदेष :–**

श्री एच0 के0 अग्रवाल पुत्र श्री के0 सी0 अग्रवाल निवासी–15 त्यागी रोड, देहरादून को एक टैम्पो परमिट नं0–1733 दिनांक 22.08.92 से 21.08.97 तक उनकी विक्रम टैम्पो वाहन संख्या यूपीवी–5714 मॉडल–1981 हेतु जारी किया गया था। श्री एच0के0 अग्रवाल द्वारा दिनांक 18.07.06 को उक्त परमिट नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं पुनः नवीनीकरण हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 08.12.06 को प्रस्तुत किया गया था। इस परमिट के नवीनीकरण का मामला सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की

बैठक दिनांक 18.12.06 में रखा जाना प्रस्तावित था। किन्तु प्राधिकरण की यह बैठक नहीं हो पायी थी। प्रार्थी द्वारा पुनः उक्त परमिट नवीनीकरण हेतु दिनांक 26.06.07 को प्रार्थना–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा उक्त परमिट नवीनीकरण न किए जाने के वि☺ एक वाद संख्या–21/2007 हरिकृश्ण बनाम आरटीए देहरादून माननीय, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून में दायर किया गया। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 10.10.07 को उक्त वाद में आदेष पारित किए गए। आदेष का मुख्य अंष निम्न प्रकार से हैः–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण निकट आगामी बैठक में अपीलार्थी के नवीनीकरण का प्रार्थना–पत्र मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा–81 में दी गयी विधि व्यवस्था, न्यायाधिकरण द्वारा नवीनीकरण के संबंध में दिए गए पूर्व पारित निर्णय एवं आरटीए द्वारा अपने आदेष दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 की मद सं0–23 में विलम्ब को क्षमा करते हुए प्रषमनषुल्क लेकर नवीनीकरण की कार्यवाही अपने स्तर से आदेष पारित कर सुनिष्चित करें।

उपरोक्त परमिट के नवीनीकरण हेतु दिए गए प्रार्थनापत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में अस्वीकृत किया गया है, परन्तु इस बैठक में एसटीए(टी) द्वारा पारित आदेषों पर विचार नहीं किया गया था इसलिए बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्राधिकरण मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेषों के संदर्भ में उक्त टैम्पो परमिट सं0–टैम्पो–1733 के नवीनीकरण तथा परमिट पर नई वाहन प्रतिस्थपित करने के सम्बन्ध विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ख)– **श्रीमती सरला रानी की अपील संख्या 22/07 में पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के आदेष दिनांक 18.08.08 के अनुपालन में विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1029 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में विचार व आदेष :–**

श्रीमती सरला रानी पत्नी श्री देवीलाल गोयल ग्राम घमण्डपुर पो0 रानीपोखरी जिला देहरादून के नाम ऋषिकेष केन्द्र से जारी विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–1029 जारी किया गया था। यह परमिट दिनांक 21.09.

1992 तक वैध था तथा इस पर वाहन संख्या यूएसडब्ल्यू–5869 संचालित हो रही थी। दिनांक 21.09.92 को इस परमिट की वैधता समाप्त हो जाने के प्च्चात् परमिट धारक द्वारा परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। परमिट के नवीनीकरण हेतु दिए गए एक प्रार्थना पत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.06 में मद संख्या–23 के अन्तर्गत विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसको प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया था।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के उपरोक्त आदेषों के वि☺ श्रीमती सरला रानी ने माननीय राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के समक्ष अपील संख्या 22/07 दायर की गई थी। अपील का निस्तारण माननीय न्यायाधिकरण के आदेष दिनांक 18.08.09 द्वारा कर दिया गया है। न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेष का मुख्य अंष निम्न प्रकार हैः–

दोनों पक्षों की बहस को सुनने, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 20.11.2004 में लिये गये निर्णय तथा प्रार्थिनी बृद्धावस्था विधवा अस्वथता तथा अषिक्षित होने के तथ्यों पर गम्भीरता से विचार करते हुये एवं मानवीय दृश्टिकोण अपनाते हुए मैं इस निश्कर्श पर पहूंचा हूं कइस अपील को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून को अपनी अगली बैठक में पुर्नविचार हेतु प्रतिप्रेशित कर दिया जाये। यदि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून नवीनीकरण में हुये विलम्ब को क्षमा करने के लिये प्रार्थिनी पर षमन षुल्क लगाना आवष्यक समझे तो मेरे विचार से अधिकतम रु0 2000/– षमन षुल्क लेकर प्रार्थिनी के टैम्पो परमिट नवीनीकण प्रार्थना पत्र में हुये विलम्ब को क्षमा करते हये उनके परमिट का नवीनीकरण कर दें।

"अपील अंन्ततः स्वीकार की जाती है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठन दिनांक 15.05.06 मद व संकल्प संख्या–23 निरस्त किया जाता है। यह अपील सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून को इस निर्णय में ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर अपनी अगली बैठक में पुनर्विचार हेतु प्रेशित की जाती है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ग)– **श्री धर्मेन्द्र सिंह के विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–1990 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में विचार व आदेष ':–**

श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्र जीत सिंह, 129, रामनगर, रूड़की जिला हरिद्वार की वाहन संख्या यूपी10–ए–8049, मॉडल–1994 के लिए रूड़की केन्द्र से एक विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–1990 जारी किया गया था जो दिनांक 21.08.1999 तक वैध था। इस परमिट के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.09 को श्री संदीप गुप्ता उपाध्यक्ष गन्ना विकास सलाहकार समिति उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 01.07.09 द्वारा कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उन्होंने परमिट का नवीनीकरण करने की संस्तुति की है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि केवल 05 साल की अवधि के अन्तर्गत समाप्त होने वाले परमिटों का ही नवीनीकरण किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(घ)– **श्री निर्मल कुमार भण्डारी के स्थाई विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–177 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेष :–**

श्री निर्मल कुमार भण्डारी पुत्र श्री टी0एस0 भण्डारी, 32 आराघर देहरादून को उनकी वाहन संख्या यूआरएम–8740 के लिए देहरादून केन्द्र से एक विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–177 जो कि दिनांक 04.02.1984 को जारी किया गया था। यह परमिट दिनांक 03.02.1993 तक वैध था। इसके प्ष्चात् परमिट धारक द्वारा परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। श्री निर्मल भण्डारी ने अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.12.08 द्वारा निवेदन किया है कि अपनी पारिवारिक परिस्थतियों के कारण वे उक्त परमिट का नवीनीकरण नहीं करा पायें हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि अब उनके विक्रम टैम्पों परमिट का नवीनीकरण किया जाए।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि केवल 5 साल की अवधि के अन्तर्गत समाप्त होने वाले परमिटों का ही नवीनीकरण किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(च)– **श्री प्रदीप क्षेत्री पुत्र श्री एस0डी0 क्षेत्री लच्छीवाला, डोईवाला देहरादून को उनकी वाहन संख्या यूपी07–जी–1639 मॉडल–1996 पर टैम्पो परमिट संख्या–3208 डोईवाला केन्द्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में विचार व आदेषः–**

श्री प्रदीप कुमार क्षेत्री पुत्र श्री एस0 डी0 क्षेत्री निवासी–लच्छीवाला, डोईवाला, देहरादून को उनकी वाहन संख्या यूपी07–जी–1639 के लिए डोईवाला केन्द्र से एक विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–3208 जो कि दिनांक 29.04.1997 को जारी किया गया था। यह परमिट दिनांक 28.04.2002 तक वैध था। इसके प्श्चात् परमिट धारक द्वारा परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। श्री प्रदीप कुमार क्षेत्री ने अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.06.08 द्वारा निवेदन किया है कि उनका एक्सीडेण्ट होने के कारण वे उक्त परमिट का नवीनीकरण नहीं करा पायें हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि अब उनके विक्रम टैम्पों परमिट का नवीनीकरण किया जाए।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि केवल 5 साल की अवधि के अन्तर्गत समाप्त होने वाले परमिटों का ही नवीनीकरण किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(छ)– **श्री नवीन कुमार पुत्र बाबूराम, ज्वालापुर, हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2558 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री नवीन कुमार के नाम पर रूड़की केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–2558 दिनांक 28.05.1996 से 27.05.2001 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी07–एफ–1630 मॉडल–1996

के लिए जारी किया गया था। श्री नवीन कुमार ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 09.04.09 जो कार्यालय में 13.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 18.02.02 को कार्यालय में परमिट के

नवीनीकरण हेतु प्रार्थनापत्र दिया था, परन्तु आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे अपनी वाहन को नहीं चला सके और न ही परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को

देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 27.05.2001 को समाप्त हो गया था। परमिट धारक ने परमिट के नवीनीकरण हेतु दिनांक 18.02.02 को प्रार्थनापत्र दिया था परन्तु उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ज)– **श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री राधेष्याम नजदीक हरिलोक कालोनी कनखल हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2934 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री मती उर्मिला देवी के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–2934 दिनांक 23.08.1996 से 22.08.2001 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी10–बी–4061 मॉडल–1997 के लिए जारी किया गया था। श्री उर्मिला देवी ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 12.10.09 जो कार्यालय में 12.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे अपनी वाहन को नहीं चला सके और न ही परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 28.08.2001 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(झ)– **श्री संजय सिंह चौहान पुत्र श्री धर्म सिंह ग्राम व पोस्ट बहादराबाद हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2459 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री संजय सिंह चौहान के नाम पर रूड़की केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–2459 दिनांक 22.02.1996 से 21.02.2001 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी10–बी–3390 मॉडल–1995 के लिए जारी किया गया था। श्री संजय सिंह चौहान ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 14.10.09 जो कार्यालय में 14.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 21.02.2001 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ट)– **श्री अषोक कुमार पुत्र श्री खुषीराम जी0एम0नगर भीमगोड़ा, हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–3350 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री अषोक कुमार के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–3350 दिनांक 21.08.1997 से 20.08.2002 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी10–बी–9045 मॉडल–1997 के लिए जारी किया गया था। श्री अषोक कुमार ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 16.10.09 जो कार्यालय में 16.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 20.08.2002 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 व"र्ा से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ठ)– **श्री मोहर सिंह पुत्र श्री पृथ्वि सिंह ग्राम व पोस्ट 369, बनखण्डी ऋ"िकेष के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1816 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री मोहन सिंह के नाम पर रूड़की केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–1816 दिनांक 21.09.1993 से 20.09.1998 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी07–डी–2234 मॉडल–1995 के लिए जारी किया गया था। श्री मोहर सिंह ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 14.10.09 जो कार्यालय में 14.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का

नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 21.09.1993 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ड)– **श्री सोम प्रकाष पुत्र श्री कबूल सिंह ग्राम व पोस्ट पुरानी तहसील रूड़की हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2573 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री सोम प्रकाष के नाम पर रूड़की केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–2573 दिनांक 10.06.1996 से 09.06.2001 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी10–6437 मॉडल–1991 के लिए जारी किया गया था। श्री सोम प्रकाष ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 15.10.09 जो कार्यालय में 15.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 09.06.2001 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ढ)– **श्री अंजनी कुमार परमार पुत्र श्री जय सिंह परमार ग्राम व पोस्ट मो0 नीलखुदाना ज्वालापुर हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1074 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री अंजनी कुमार परमार के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–1074 दिनांक 05.09.1995 से 04.09.2000 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूजीएक्स–9798 मॉडल–1986 के लिए जारी किया गया था। श्री अंजनी कुमार परमार ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 15.10.09 जो कार्यालय में 15.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 04.09.2000 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(त)– **श्री तेजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेहताब सिंह ग्राम व पोस्ट कनखल हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2149 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री तेजेन्द्र सिंह के नाम पर ऋशिकेष केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–2149 दिनांक 08.06.1995 से 07.06.2000 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी08–0668 मॉडल–1990 के लिए जारी किया गया था। श्री तेजेन्द्र सिह ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 15.10.09 जो कार्यालय में 15.10.09

को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 07.06.2000 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(थ)– **श्री नन्द किषोर पुत्र श्री आनन्द प्रकाष षर्मा ग्राम व पोस्ट हर की पैड़ी हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2192 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री नन्द किषोर के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–2192 दिनांक 01.07.1995 से 30.06.2000 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूजीएक्स–9733 मॉडल–1986 के लिए जारी किया गया था। श्री नन्द किषोंर ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 15.10.09 जो कार्यालय में 15.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 30.06.2000 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(द)– **श्री मदन लाल पुत्र श्री मूल चन्द ग्राम व पोस्ट रामनगर कालोनी ज्वालापुर हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1208 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री मदन लाल के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–1208 दिनांक 10.02.1992 से 09.02.1997 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी08–1850 मॉडल–1990 के लिए जारी किया गया था। श्री मदन लाल ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 14.10.09 जो कार्यालय में 14.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 09.10.1997 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ध)– **श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह ग्राम व पोस्ट नई बस्ती ऋशिकुल हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1858 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री गोविन्द सिंह के नाम पर रूड़की केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–1858 दिनांक 11.11.1993 से 10.11.1998 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी10–ए–5348 मॉडल–1993 के लिए जारी किया गया था। श्री गोविन्द सिंह ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 14.10.09 जो कार्यालय में 14.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 10.11.1998 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(न)– **श्री राजेष कुमार पुत्र श्री मदन लाल ग्राम व पोस्ट आवास–विकास हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1204 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री राजेष कुमार के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–1204 दिनांक 10.02.1992 से 09.02.1997 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी08–1244 मॉडल–1990 के लिए जारी किया गया था। श्री राजेष कुमार ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 14.10.09 जो कार्यालय में 14.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 09.02.1997 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(प)– **श्री फुरकान अहमद पुत्र श्री रषीद अहमद ग्राम व पोस्ट हज्जावान ज्वालापुर हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–3135 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री फुरकान अहमद के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–3135 दिनांक 08.10.1996 से 07.10.2001 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूटीजे–5111 मॉडल–1976 के लिए जारी किया गया था। श्री फुरकान अहमद ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 14.10.09 जो कार्यालय में 14.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 07.10.2001 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(फ)– **श्री भेरवनाथ पुत्र श्री राम दास ग्राम व पोस्ट 216 आवास–विकास हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2173 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री भेरवनाथ के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–2473 दिनांक 22.09.1995 से 21.06.2000 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी10–बी–0936 मॉडल–1995 के लिए जारी किया गया था। श्री भेरव नाथ ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 14.10.09 जो कार्यालय में 14.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 21.06.2000 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ब)– **श्री मोहन लाल पुत्र श्री रामनारायण ग्राम व पोस्ट कनखल हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1276 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री मोहन लाल के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–1276 दिनांक 17.02.1992 से 16.02.1997 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी10–ए–7322 मॉडल–1992 के लिए जारी किया गया था। श्री मोहन लाल ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 14.10.09 जो कार्यालय में 14.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 16.02.1997 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(भ)– **श्री राम किषोर पुत्र श्री रमेष चन्द ग्राम व पोस्ट खड़खड़ी हरिद्वार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–3231 के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेषः–**

श्री राम किषोर ने के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–3231 दिनांक 20.05.1997 से 19.05.2002 तक जारी किया गया था। यह परमिट उनकी वाहन संख्या यूपी10–बी–8653 मॉडल–1995 के लिए जारी किया गया था। श्री राम किषोर ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 14.10.09 जो कार्यालय में 14.10.09 को प्राप्त हुआ के द्वारा सूचित किया है कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से वे अपने उक्त परमिट का नवीनीकरण करा सके। उन्होंने निवेदन किया है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वाहन का समर्पण करने तथा परमिट पर नई वाहन लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार उक्त परमिट दिनांक 19.05.2002 को समाप्त हो गया था। उनके द्वारा गाड़ी के वैध प्रपत्र नहीं प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

इस संबंध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 में यह आदेष पारित किए थे कि 5 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–28 **ऑटोरिक्षा परमिटों के नवीनीकरण हेतु विलम्ब से प्राप्त निम्नलिखित प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेष पारित करना :–**

मोटर गाड़ी अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अनुसार परमिट के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र परमिट समाप्त होने की तिथि से 15 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी दषा में 05 वर्श से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। परमिटों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	परमिट धारक का नाम	परमिट संख्या व वैधता	वाहन संख्या व मॉडल	केन्द्र का नाम	प्रार्थना पत्र प्राप्त की तिथि
1	श्री बी0 एन0 तिवारी	ऑटो–3031 31.05.2001	दिनांक 08.05.02 को पुरानी वाहन हटा ली गयी थी	ऋषिकेष केन्द्र नई वाहन यूए07सी–9667	30.07.09
2	श्री गोविन्द राम	ऑटो–3020 08.05.2001	यूटीएल–7694	ऋषिकेष केन्द्र	24.07.2009
3.	श्री मुकेष कुमार	ऑटो–3484 22.12.2002	यूपी10–सी–1109	रूड़की केन्द्र	16.10.2009

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद नं0–29– **श्री कमल नेत्र बक्षी पुत्र श्री तारा चन्द बक्षी निवासी 167/218 मनीराम मार्ग ऋषिकेष की वाहन संख्या यूए07–सी–7687 को ऋषिकेष केन्द्र का ऑटोरिक्षा परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेष।**

श्री कमल नेत्र बक्षी ने अपने पत्र दिनांक 04.09.09 द्वारा सूचित किया है कि सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेष के कार्यालय द्वारा उनकी वाहन संख्या यूए07–सी–7687 को दिनांक 29.07.2003 को पंजीकृत किया गया था। प्रार्थी इस वाहन का मार्गकर, अति0कर लगातार प्रत्येक वर्ष जमा कर

रहा है। ऋषिकेष कार्यालय द्वारा उनकी वाहन का स्वस्थता प्रमाणपत्र भी जारी किया जाता रहा है। वाहन को जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र 19.07.09 तक वैध था। प्रार्थी कम पढ़ा–लिखा होने के कारण एवं अज्ञानतावष

एजेंट के माध्यम से वाहन का पंजीयकरण कराया था तथा एजेंट ने उसको आष्वासन दिया था कि अभी परमिट जारी नहीं हो रहे हैं जब परमिट जारी किए जाएगें तो आपको इस वाहन का परमिट मिल जाएगा परन्तु एजेंट के झूठे वादों के कारण उसको अभी तक परमिट नहीं मिल पाया है। श्री कमल नेत्र बक्षी ने आटो परमिट संख्या 2757 का उल्लेख किया है। परन्तु कार्यालय अभिलेखों के अनुसार यह परमिट श्री बिषम्भर सिंह के नाम पर उनकी वाहन संख्या यूजीए–9442 के लिए जारी किया गया था, जो दिनांक 04.06. 1998 को समाप्त हो गया था। उसके पश्चात् परमिट का नवीनीकरण नहीं कराया गया था।

श्री कमल नेत्र बक्षी ने दिनांक 29.09.09 को ऋषिकेष केन्द्र से वाहन संख्या यूए07–सी–7687 के लिए नया आटोरिक्षा परमिट देने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद संख्या–30– <u>श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री हरिचन्द तथा दीपा आनन्द पुत्री श्री कष्ण कुमार आनन्द 146, पटेलनगर, देहरादून को बैटरी चालित टैम्पो परमिटों के स्थान पर टाटा मैजिक वाहन के परमिट जारी वा विचार व आदेष :–</u>

श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री हरिचन्द, देहरादून तथा कुमारी दीपा आनन्द पुत्री श्री कृष्ण कुमार आनन्द 146, पटेलनगर, देहरादून को उनकी बैटरी चालित टैम्पो वाहन संख्या–यूए07ई–6277 तथा यूए07ई–6278 को पैवेलियन से दर्षनलाल चौक–प्रिन्सचौक–सहारनपुर चौक–पटेलनगर–माजरा मार्ग के टैम्पो परमिट दिनांक 31.12.03 से 30.12.08 तक जारी किये गये थे, प्रार्थयों ने अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.8.09 द्वारा सूचित किया है कि उन्होंनें ऋण लेकर बैटरी चालित वाहनों को क्रय किया गया था। परन्तु वाहन बनाने वाली कम्पनी महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा सहयोग नहीं देने के कारण वाहन नहीं चल पाई। क्योंकि इनके मैकेनिक दो–2 महिने तक वाहन ठीक करने दिल्ली से देहरादून नहीं आ सकते थे जिस कारण वाहन अधिकतर खडे रहते थे। प्रार्थियों ने मजबूर होकर वाहनों को कम्पनी के गैराज में खडा कर दिया जिससे उनको आर्थिक हानि उठानी पडी। प्रार्थियों ने निवेदन किया है कि उनको बैटरी चालित वाहनों के स्थान पर परमिट में टाटा मैजिक वाहन प्रतिस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थियों ने उपरोक्त बैटरी चालित टैम्पो वाहनों के प्रपत्र दिनांक 05.11.04 को कार्यालय में समर्पित करा दिये थे। प्रार्थियों को जारी बैटरी चालित वाहनों के परमिट भी दिनांक 30.12.08 को समाप्त हो गये हैं और इन परमिटों के नवीनीकरण हेतु कोई प्रार्थना–पत्र नहीं दिया गया है। प्रार्थियों ने दिनांक 18.6.08 को इस आषय के प्रार्थना–पत्र दिये थे कि उनको बैटरी चालित टैम्पो परमिट के स्थान पर उनको टाटा मैजिक अथवा डीजल चालित विक्रम टैम्पो का परमिट जारी करने की कृपा करें । इन प्रार्थनों पत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में मद संख्या–39(अ–ब) में विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित किये थे कि वर्तमान में डीजल चालित टैम्पो वाहनों के परमिट जारी नहीं किये जा रहे हैं, यदि प्रार्थी इच्छुक हों तो उनको पेट्रोल चालित आटो रिक्षा परमिट जारी कर दिया जाय, तथा उनसे इस आयाय का शपथ पत्र लिया जाय कि पूर्व में उनके पास कोई आटो रिक्षा परमिट नहीं है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–31– ऋषिकेष केन्द्र के आटोरिक्षा परमिटों का मार्ग 16 किमी0 के स्थान पर 25 किमी0 करने के सम्बन्ध में श्री मदन मोहन शर्मा अध्यक्ष, उतराखण्ड आटो रिक्षा मालिक ऐसोसियेषन ऋषिकेष के पत्र दिनांक 08.09.09 पर विचार व आदेष :–

श्री मदन मोहन शर्मा ने अपने पत्र दिनांक 08.9.09 द्वारा सूचित किया है कि ऋषिकेष केन्द्र से जारी आटो रिक्षा परमिटों का मार्ग 16 किमी0 अर्धब्यास है जबकि देहरादून केन्द्र से जारी आटोरिक्षा परमिटों का मार्ग 25 किमी0 अर्धब्यास कर दिया गया है। इस प्रकार एक ही जिले में दोहरा मापदण्ड किया गया है। वर्तमान समय में ऋषिकेष की जनसंख्या का विस्तार हो चुका है। ऋषिकेष से जौलीग्रान्ट–लच्छीवाला–डोईवाला–फनवैली–रायवाला–लूनावाला गुंरूद्वारा–लालतप्पड–षांतिकुंज तक यात्रियों को आना जाना होता है। उन्होंनें निवेदन किया है कि ऋषिकेष केन्द्र से जारी आटो रिक्षा परमिटों का मार्ग 16 किमी0 अर्धब्यास के स्थान पर 25 किमी0 करने की कृपा करें ।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने का कष्ट करें।

मद संख्या–32– **श्री खुर्शीद आलम आटोरिक्षा विक्रम एसोशियेसन जनपद हरिद्वार के आटोरिक्षा वाहनो की उम्र डीजल चालित 10 वर्ष एव पेट्रोल चालित–12 वर्ष करने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिनाक 30.12.08 के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3133/एसटीए/दस–2/09 दिनाक 18.11.08 द्वारा उत्तराखण्ड मे संचालित होने वाले आटोरिक्षा वाहनो की उम्र मे एक रुपता लाने के उददेष्य से डीजल चालित आटो वाहनो की उम्र–10 वर्ष तथा पेट्रोल चालित आटो वाहनो की उम्र–12 वर्ष निर्धारित करने के सन्दर्भ मे आरटीए की बैठक दिनाक 27.12.08 मे मद सं0 22(अ) के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, प्राधिकरण ने मामले पर विचारो परान्त आदेष पारित करते हुए देहरादून सम्भाग मे संचालित होने वाले आटोरिक्षा वाहनो की उम्र डीजल चालित 10 वर्ष एव पेट्रोल चालित–12 वर्ष निर्धारित की गई।

प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेषो के विरोध मे हरिद्वार आटोरिक्षा व विक्रम एसाोषियेसन द्वारा अपने पत्र दिनाक 30.12.08 द्वारा निम्नानुसार निवेदन किया गया है, उक्त पत्र मा0 मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड शासन को सम्बोधित है, व अपर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–560/एसटीए/दस–2/09 दि0 5.3.09 द्वारा इस कार्यालय मे सलग्नक के रुप मे प्राप्त हुआ है।

हरिद्वार क्षेत्र मे लगभग दो हजार परिवार इस व्यवसाय से जुडे है, हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति एव सीजन एव डाउन सीजन के विपरीत (आरटीए) ने कुछ नवीन प्रस्ताव पारित किए है जो हरिद्वार की जनता एव पर्यटको के लिए व्यवहारिक नही है। अतः उनकी समीक्षा एव पूर्ण निवारण हेतु विचार अति आवष्यक है। जिससे आने वाले कुंभ मेले मे जनता शासन एव प्रषासन की समस्याओ का उचित निवारण हो सके ये समस्याये निम्नलिखित हैः–

1–आटोरिक्षा की उम्र पहले 15 वर्ष थी जिसे अब (12 वर्ष पेट्रोल तथा 10 वर्ष डीजल) कर दिया गया है, जबकि हरिद्वार व ऋषिकेष में विक्रम वाहनों की उम्र अभी भी 15 वर्ष निर्धारित है।

2–किसी भी गाडी की फिटनैस साल मे एक बार होती है जिसमें 07 वर्ष के वाद 06–06 महीने का प्रावधान रखा गया है।

3– जो किराया निर्धारण किया गया है वो जनता एव गाडी चालक दोनो के पक्ष मे नही है।

मान्यवर आप से सानुरोध प्रार्थना है कि जितनी जल्दी सम्भव हो सके इसके निराकरण हेतु आदेष पारित कर अनुगहित करे आप की अति कृपा होगी।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करे।

मद संख्या–33– **जीप ट्रेकर वाहनों को स्टेज कैरिज के रूप में चलाने हेतु निर्मित किये गये मार्गो पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर विचार व आदेष** :–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22.11.04 में मद संख्या–18 के अन्तर्गत प्राधिकरण ने देहरादून–ट्रेकर कमाण्डर वेलफेयर ऐसोसियेषन प्रेमनगर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर विचार किया गया था। मैक्सी कैब कमाण्डर यूनियन ने अपने प्रत्यावेदन में निवेदन किया था कि उनकी यूनियन के अन्तर्गत संचालित होने वाले वाहन ठेका वाहन के परमिटों से आच्छादित हैं, उन्हें स्टेज कैरिज के रूप में मार्गो पर चलने में कठिनाई होती है। उनका संचालन अवैध होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक हानि हो रही है। प्रतिवेदन में उन्होंनें निवेदन किया था कि उनकी वाहनों को जारी मैक्सी कैब परमिटों को निरस्त करने के पष्चात स्टेज कैरिज परमिट जारी कर दिये जांय ।

प्राधिकरण ने उक्त बैठक में मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों की यातायात की आवष्यकता को देखते हुए निम्न्लिखित् मार्गो को जीप/ट्रेकर वाहनों को स्टेज कैरिज वाहनों के रूप में चलाने हेतु मार्ग निर्मित किये जायं तथा इन मार्गो को ''क'' श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया जाय। इन वाहनों को लिए नीलारंग निर्धारित किया जाता है तथा परमिट जारी करते समय वाहन 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी तथा वाहन अधिकतम–20 वर्ष की आयु सीमा तक संचालित हो सकेगीं। प्राधिकरण ने आदेष पारित किये थे कि मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–68(3)(सी–ए) के अन्तर्गत शासन द्वारा मार्ग निर्धारण की स्वीकृति के पष्चात मैक्सी कैब परमिटों पर संचालित वाहनों को जारी स्थाई परमिट जमा करने के पष्चात ही इन वाहनों को सवारी गाडी परमिट जारी किये जा सकेंगें।

मार्गो के नाम :–

क्र0सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई	मार्ग पर संचालित सेवायें
1	प्रेमनगर–नन्दा की चौकी–पौधा– विधौली–डुंगा–भाऊवाला–सुघोवाला–प्रेमनगर–	30 किमी0	20 वापसी सेवायें।
2	प्रेमनगर–सहसपुर	18 किमी0	10 वापसी सेवायें।

3	प्रेमनगर–सेलाकुई–भाऊवाला–डुंगा।	25किमी0	20 वापसी सेवायें
4	सहसपुर–कोटडा–	18 किमी0	10 वापसी सेवायें।
5	सहसपुर–शंकरपुर–कैंचीवाला–रामसावाला–जूनो–भाऊवाला	12 किमी0	15 वापसी सेवायें।

शाासन की अधिसूचना संख्या–10/नौ/229/2009 दिनांक 13.01.09 द्वारा उपरोक्त मार्गो को मंझली गाडी चलाने के लिए निर्मित किया गया है। इन मार्गो पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के विवरण परिषिष्ट "ढ" पर दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्राधिकरण ने उपरोक्त मार्गों को अलग–अलग मार्ग के रूप में वर्गीकृत/निर्मित किया गया है, परन्तु प्रार्थियों द्वारा एक ही परमिट में पांचों मार्गों के लिए आवेदन किया गया है।

शासन की उक्त अधिसूचना के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में वाद संख्या 1750, 1751, 1752, 1753 व 1754/एमएस/09 दायर किया गया है जो वर्तमान में न्यायालय में गतिमान है।

मद सं0–34– **श्रीमती स्वेता सिंघल को देहरादून–डोईवाला मार्ग पर दिनांक 27.12.08 को मद संख्या–11 के अन्तर्गत जारी परमिट की समय–सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में।**

मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट संख्या 1231/एमएस/03 में पारित आदेष दिनांक 08.08.08 के अनुपालन में प्रार्थिनी श्रीमती स्वेता सिंघल द्वारा देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट हेतु दिए प्रार्थनापत्र दिनांक 03.09.08 को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 27.12.2008 में मद संख्या–11(अ) के अन्तर्गत विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचार करते हुए प्रार्थिनी को देहरादून–डोईवाला मार्ग का एक स्थाई सवारी गाड़ी परमिट इस शर्त के साथ स्वीकृत किया था कि परमिट नई वाहन से दिनांक 31.03.09 तक प्राप्त किया जाएगा तत्पष्चात् स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जाएगी। प्राधिकरण के आदेष की सूचना प्रार्थिनी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 2688/आरटीए/परमिट स्वीकृति/09 दिनांक 27.01.09 द्वारा प्रेषित कर दी गई थी, परन्तु श्रीमती स्वेता सिंघल द्वारा निर्धारित समय में स्वीकृत परमिट प्राप्त नहीं किया गया है।

श्रीमती स्वेता सिंघल ने अब उक्त स्वीकृत परमिट को जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 08.07.09 को अध्यक्ष/सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून को प्रेषित किया गया है, जो अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से दिनांक 14.07.09 को, "**प्रोसेस एण्ड पुटअप**" के आदेष के साथ इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

अतः प्राधिकरण प्रार्थिनी को देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्वीकृत परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–35– **श्री अमित कुमार शर्मा पुत्र श्री अरुण शर्मा प्रेमनगर देहरादून की अपील संख्या–3/07 मे पारित मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के आदेष दिनाक 8.10.07 का अवलोकन एव आदेषो के अनुपालन मे अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र पर विचार व आदेष–**

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनाक 15.5.06 मे प्राधिकरण द्वारा पुरोहित सेवाआश्रम–हरिद्वार–रोषनाबाद तथा सम्बन्धित मार्ग पर 5 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये थे तथा शेष प्रार्थना पत्रो को जिसमे श्री अमित कुमार का प्रार्थना पत्र भी सम्मिलित था अस्वीकृत किया गया था। श्री अमित कुमार ने इन आदेषो के विरुद्ध माननीय एसटीए(टी)के समक्ष अपील सं0–03/2007 दायर की गई थी। माननीय एसटीए(टी) ने इस अपील का निस्तारण अपने आदेष दिनाक 8.10.07 द्वारा किया गया है। अपील मे पारित आदेष का मुख्य अंष निम्न प्रकार हैः–

''अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनाक 15.5.06 की मद संख्या–10 व संकल्प संख्या–10 मे अपीलाथी के प्रार्थना के सन्दर्भ मे अस्वीकृति का आदेष निरस्त किया जाता है। तथा निर्देषित किया जाता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिथिलेष गर्ग के केष एआईआर–1992 पेज–443 मे दी गई उदार नीति सम्बन्धी विधि व्यवस्था को आधार मानते हुए अपीलार्थी के आवेदन पत्र का निस्तारण करे''।

उक्त मामला प्राधिकरण की बैठक दिनाक 27.12.08 मे मद संख्या–4(18) के अन्तर्गत विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था, प्राधिकरण ने विचारोपरान्त संकल्प संख्या–4(18)मे निम्न आदेष पारित किये गये थे।

''अपील संख्या–03/07 श्री अमित कुमार शर्मा के सम्बन्ध मे अरुण शर्मा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होने अवगत कराया कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेषो के अनुपालन मे उनको पुरोहितसेवाआश्रम–रोषनाबाद मार्ग का स्थाई सवारी गाडी यपरमिट जारी किया जाय।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि वर्तमान मे इस मार्ग पर 23 परमिट वैध है और मार्ग पर वाहनो का संचालन हो रहा है। इस सम्बन्ध मे प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मार्ग पर और परमिटो को बढाने के सम्बन्ध मे सर्वेक्षण कराकर आख्या प्राप्त की जाय। सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने तक प्रकरण को स्थगित किया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेषो के अनुपालन मे इस कार्यालय के पत्र संख्या–1212/आरटीए/ ग्यारह–2271/09 दिनाक–12.8.09 द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)हरिद्वार को उक्त मार्ग पर परमिटो की संख्या बढाने के सम्बन्ध मे सर्वेक्षण कर आख्या प्रेषित करने हेतु लिखा गया था, जो अभी तक इस कार्यालय मे प्राप्त नही हुई है।

इस सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि वर्तमान मे पुरोहितसेवाआश्रम–हरिद्वार–रोषनाबाद मार्ग पर 23 परमिट वैध है। अपीलकर्ता ने अपने आवेदन पत्र दिनाक 25–6–09 जो इस कार्यालय मे दिनाक 26.9.09 को प्राप्त हुआ है, द्वारा निवेदन किया है कि कि मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेषो का अनुपालन किया जाय।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करे।

मद सं0–36– <u>अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कोई अन्य मत।</u>

सचिव
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण
देहरादून।

<u>सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.2009 की विषय सूची</u>

मद सं0	परिशिष्ट	विषय	एजेण्डा का पेज नं0
1		प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 की कार्यवाही का पुष्टिकरण	1
2		प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित आदेषों का अनुमोदन	1
3		सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा, प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी/नवीनीकरण किए गए अस्थाई/स्थाई परमिटों को अनुमोदन	2
4		श्रीमती निषा मस्ताना को देहरादून केन्द्र से वाहन संख्या यूके07–टीए–2031 पर जारी आटोक्षिा परमिट संख्या आटो–6615 का अनुमादन करने के संबंध में	3
5(अ)	क ख ग घ	स्थाई ठेका गाड़ी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र स्थाई मैक्सी कैब परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र स्थाई टैक्सी कैब परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र यूटीलिटी वाहनों के परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र	4
5(ब)	च	टाटा मैजिक वाहनों के परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र	4
6	छ	विभिन्न केन्द्रों स्थाई ऑटोरिक्षा परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र	5
7	ज	स्थाई विक्रम टैम्पों परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र	6
8		दून विष्वविद्यालय कैदारपुरम से सहस्त्रधारा तक नगर बस सेवा प्रारम्भग करने के सम्बन्ध में	7
9		प्रेमनगर से ग्राम शुक्लापुर–अम्बीवाला तक यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में	8
10(अ)		हनुमानचट्टी–जानकीचट्टी मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में	9
10(ब)		टिहरी जनपद में नवनिर्मित मोटर मार्गों तथा हल्के वाहन मार्गों को यातायात के लिए खोलने के सम्बन्ध में	10
11		कुलड़ी–लक्सर–रूड़की मार्ग का विस्तार कुलड़ी से गंगाघाट–वालावाली पुल तक करने के सम्बन्ध में	11
12	झ	रूड़की से पिरान कलियर–मानुवास–मजाहदपुर–बन्दरजूट मार्ग को स्टैज कैरीज वाहनों के संचालन हेतु वर्गीकृत/निर्मित करने के सम्बन्ध में	13
13		गुरूकुल–नारसन–मंगलौर मार्ग का विस्तार रूड़की तक करने के सम्बन्ध में।	15
14		बहादराबाद–पिरान कलियर–रूड़की मार्ग पर अस्थाई सवारी गाड़ी परमिटों पर चल रही मिनी बसों का मार्ग विस्तार बहादराबाद से गढ़मीरपुर होते हुए रोषनाबाद तक करने के सम्बन्ध में।	15
15(अ)		मसूरी नगर क्षेत्र में नगर बस सेवा संचालन करने के सम्बन्ध में	17

(ब)		नई टिहरी नगर में नगर बस सेवा संचालन करने के सम्बन्ध में	20
16		कौलागढ़–विधानसभा मार्ग का विस्तार घण्टाघर तक करने सम्बन्ध में	21
17		हल्की वाहनों हेतु ठेका गाड़ी मार्गों को निर्मित करने के सम्बन्ध मे।	22
18		थानाकैण्ट–आईएसबीटी–रिस्पना–सुभाष रोड–परेडग्राउण्ड मार्ग का विस्तार थाना कैण्ट से सप्लाई डिपो तक करने के सम्बन्ध में	24
19	ट,ठ,ड	देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्थाई/अस्थाई परमिट जारी करने के सन्दर्भ में विचार व आदेष।	25
20		दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के परमिटों के विरुद्ध धारा–86 की कार्यवाही	36
21		विभिन्न माध्यमों से षिकायत प्राप्त होने पर धारा–86 की कार्यवाही	36
22		धारा–86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में दो चालान पाये जाने पर कार्यवाही	37
23		धारा–86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में दो अधिक चालान पाये पर कार्यवाही	39
24(अ)		श्री देवेन्द्र कुमार के छुटमलपुर केन्द्र के परमिट नंबर टैम्पो–2197 के सम्बन्ध में	40
(ब)		श्रीमती पूनम के छुटमलपुर केन्द्र के परमिट सं0 टैम्पो–2047 के सम्बन्ध में	40
(स)		श्री रमेष कुमार के छुटमलपुर केन्द्र के परमिट टैम्पो सं0–240 के सम्बन्ध में	41
(द)		श्री एच0एस0 रावत के छुटमलपुर केन्द्र के परमिट सं0 टैम्पो–260 के सम्बन्ध में	42
(प)		मैसर्स योगी लीजिंग एण्ड फाईनेंस कम्पनी के छुटमलपुर केन्द्र के परमिट सं0–टैम्पो–1972/137 के सम्बन्ध में	42
25		टैम्पो/ऑटो रिक्षा परमिटों के विरुद्ध धारा–86(घ) के अन्तर्गत कार्यवाही	43
26		मै0 टिहरी गढ़वाल ओनर्स कार्पोरेषन ऋषिकेष के अन्तर्गत संचालित बसों के चालानों के सम्बन्ध में	46
27(क)		श्री एच0के0 अग्रवाल के परमिट नं0 टैम्पो 1733 देहरादून केन्द्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में	47
(ख)		श्रीमती सरला रानी की अपील संख्या 22/07 में पारित माननीय एसटीए(टी) के आदेष दिनांक 18.08.08 के अनुपालन में विक्रम टैम्पो परमिट संख्या 1029 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	48
(ग)		श्री धर्मेन्द्र सिंह के टैम्पो परमिट संख्या–1990 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	50
(घ)		श्री निर्मल कुमार भण्डारी के स्थाई विक्रम टैम्पों परमिट नं0–177 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	50
(च)		श्री प्रदीप क्षेत्री के स्थाई विक्रम टैम्पों परमिट नं0–3208 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	51
(छ)		श्री नवीन कुमार के स्थाई विक्रम टैम्पों परमिट नं0–2558 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	51

(ज)		श्रीमती उर्मिला देवी के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2934 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	52
(झ)		श्री संयज सिंह चौहान के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2459 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	53
(ट)		श्री अषोक कुमार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–3350 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	54
(ठ)		श्री मोहर सिंह के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1816 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	54
(ड)		श्री सोम प्रकाष के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2573 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	55
(ढ)		श्री अंजनी कुमार परमार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1074 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	56
(त)		श्री तजेन्द्र सिंह के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2149 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में	56
(थ)		श्री नन्द किषोर के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2192 के नवीनीकरण के सम्बन्ध मे।	57
(द)		श्री मदन लाल के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1208 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	58
(घ)		श्री गोविन्द सिंह के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1858 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	59
(न)		श्री राजेष कुमार के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1204 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	59
(प)		श्री फुरकान अहमद के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–3135 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	60
(फ)		श्री भेरवनाथ के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2173 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	61
(ब)		श्री मोहन लाल के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1276 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	61
(भ)		श्री राम किषोर के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–3231 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।	62
28		ऑटो रिक्षा परमिटों के विलम्ब से नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में।	63
29		श्री कमल नेत्र बक्षी द्वारा की गयी षिकायत के सम्बन्ध में।	63
30		श्री कृष्ण कुमार आनन्द तथा कु0 दीपा आनन्द के प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में।	64
31		ऋषिकेष केन्द्र के ऑटोरिक्षा परमिटों की परिधि 16 किमी से 25 किमी करने के सम्बन्ध में।	65
32		श्री खुर्षीद आलम ऑटोरिक्षा यूनियन हरिद्वार के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में।	66
33	ढ	जीप/ट्रेकर वाहनों को स्टेज कैरीज वाहनों के रूप में संचालित करने के सम्बन्ध में।	67
34		श्री मती स्वेता सिंघल को जारी देहरादून–डोईवाला मार्ग के परमिट की समय–सीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में।	68
35		श्री अमित कुमार शर्मा की अपील संख्या 3/07 के सम्बन्ध में विचार	69
36		अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से अन्य कोई मद।	70

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक–12.11.09 की अनुपूरक कार्यसूची

मद सं0–1(अनु0) **जनपद उत्तरकाषी केअन्तर्गत नवनिर्मित मार्ग खालस (मल्ली बैण्ड) से मणीगांव तक भारी वाहन मार्ग को यातायात के लिए खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरकाषी ने अपने पत्र संख्या 586/प्रषासन–संयुक्त निरीक्षणक/09 दिनांक 13.10.09 द्वारा सूचित किया है कि खालसी मल्ली बैण्ड से मणीगावं भारी वाहन मार्ग जिसकी दूरी 12 किमी है का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 10.10.09 को उन्होंने उप जिलाधिकारी चिन्याली सौंड, तथा कनिष्ठ अभियन्ता सिंचाई खण्ड के साथ किया गया है। मार्ग पर पायी गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित अवर अभियन्ता एवं सहा0 अभियन्ता को अवगत करा दिया गया है, उनके द्वारा कार्य को शीघ्र पूरा करने का आवष्वासन दिया है। उन्होंने सूचित किया है कि उक्त मार्ग पर भारी वाहनों का संचालन सम्भव है, मार्ग को यातायात हेतु उपलब्ध कराने की संस्तुति की जाती है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मार्ग को यातायात के लिए खोलने तथा मार्ग का पृष्ठांकन मार्ग सूची संख्या 04 तथा 01 में करने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–2(अनु0) **जनपद टिहरी के नवनिर्मित मोटर मार्गों को यातायात हेतु खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

टिहरी जनपद के निम्नलिखित मोटर मार्गों को यातायात हेतु खोलने के सम्बन्ध में मार्गों का संयुक्त सर्वक्षण परिवहन कर अधिकारी (प्रथम) नई टिहरी व सहायक अभियन्ता प्रांतिये लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा किया गया। परिवहन कर अधिकारी (प्रथम) नई टिहरी ने अपने पत्र संख्या 220/रोड सर्वे/2009 दिनांक 21.09.09 द्वारा मार्गों को भारी/हल्की वाहनों के संचालन हेतु खोलने की संस्तुति की है। मार्गों का विवरण निम्न प्रकार है।

क0सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी किमी में
1.	मुगराली–झीवाली	05
2.	कुराणी गांव–बंगडारा	03
3.	रौणिया–अगरोड़ा (महा वि0)	03
4.	पुजारगांव–वनकुण्डाली	03
5.	पीपल डाली–सान्दणा	03

अतः प्राधिकरण विचारोपरान्त मार्गों को यातायात हेतु खोलने के आदेष पारित करते हुए मार्गों का पृष्ठांकन मार्ग सूची संख्या–01 (ऋषिकेष केन्द्र) के परमिटों में करने हेतु आदेष पारित करना चाहें।

मद सं0–3(अनु0) **दल्लावाला–खानपुर–लक्सर मार्ग का विस्तार लक्सर से वालावाली–भुरनी–भुरना–ढाढकी–मथाना–मोहम्मदपुर–कर्णपुर होते हुए खानपुर–दल्लावाला तक करने के सम्बन्ध मे/लक्सर–भुरनी–ढाढेकी–गोवर्धन–डेरियो–खानपुर–दल्लावाला नया मार्ग सृजित करने के सम्बन्ध में**

दल्लावाला –खानुपर–लक्सर 21 किमी मार्ग जिसमे कुछ राष्ट्रीयकृत मार्ग भी सम्मिलित है मे 10 अस्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किय गये है। इस मार्ग का विस्तार लक्सर से वालावाली–मुरनी–भौरना–ढाढकी– मथाना–मोहम्मदपुर–कर्णपुर–रोहालकी–गोबर्घनपुर–माजरी–लालचन्दवाला पासापुर–मोहनवाला–दल्लावाला तक करने के सम्बन्ध मे मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनाक 27.12.08 मे विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किये थेः–

''दल्लावाला–खानुपर–लक्सर मार्ग का विस्तार लक्सर से वालावाली–मुरनी–भौरना–ढाढकी–मथना–मोहम्मदपुर–कर्णपुर होते हुए खानपुर–दल्लावाला तक करने के सम्बन्ध मे प्रकरण विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(पवर्तन)हरिद्वार से प्राप्त सर्वेक्ष्ण आख्या मे मार्ग की चौडाई कही पर 10 फुट तथा कही पर 12 फुट बताई गई है, जो बस संचालन की दृष्टि से उपयुक्त नही है। मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इस मार्ग के बस संचालन हेतु पर्याप्त चौडा हो जाने के पश्चात पुनः सर्वेक्षण कराया जाय तथा सर्वेक्षण आख्या पुनः प्राप्त की जाय। तत्पष्चात मामले को पुनः प्राधिकरण की बैठक मे प्रस्तुत किया जाय''।

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेषो के अनुपालन मे मार्ग का पुनः सर्वेक्षण कर आख्या देने हेतु सहायक समागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)हरिद्वार को लिखा गया था। उन्होने अपने पत्र संख्या–1451/मार्ग

सर्वे/ प्रवर्तन/09 दिनाक 30.10.09 द्वारा मार्ग का पुनः सर्वेक्षण करने के पष्चात आख्या प्रेषित की हे, जो निम्न प्रकार है।

1– मार्ग की दूरी 31.5 कीमी है।
2– मार्ग की लम्बाई चौाई– मार्ग की लम्बाई–31.5 किमी तथा औसतन चौडाई लगभग 12 फुट है।
3– मार्ग कच्चा है या पक्का– मार्ग गांव मथना व मोहम्मदपुर तक मध्य 20 मीटर सडक खराब है। मौहमदपुर ख्राट से सहीपुर कर्णपुर के मध्य एव लालचन्द वाला से डेरियो गांव तक सडक तो है किन्तु बजरी उखडी है, उक्त के अतिरिक्त समस्त मार्गग पक्का है।
4– मार्ग पर कितने व्हीलवेस तक की वाहने संचालित की जा सकती हेः– 205'' व्हीनवेस तक की वाहने संचालित हो सकती हे।
5– मार्ग पर बस संचालन से कितने यगांव/आवादी लाभान्वित होगी– मार्ग पर लगभग 16 गांव पडते है, जिनकी आवादी लगभग 17400 –18500 है जो यातायात से लाभान्वित होग।
6– मार्ग का कोई भाग राष्ट्रीयकृत तो नही हैः– मार्ग का कोई भाग राष्ट्रीयकृत नही है, अपितु केवल गोवर्धन–खानुपर राष्ट्रीयकृत मार्ग को केवल एक जगह क्रास करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उन्होने अपने पत्र द्वारा यह भी सूचित किया है कि मार्ग पर 205' व्हीलवेस तक की बसे संचालित हो सकती हे। मार्ग लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित है तथा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार ने अपने उक्त सर्वे में यह भी संस्तुति की है कि दल्लावाला–खानपुर–लक्सर मार्ग का विस्तार करने के बजाये यदि लक्सर भुरनी–ढाढेकी–गोवर्धन–डेरियो–खानपुर–दल्लावाला नये मार्ग का सृजन किया जाता है तो वह जनहित में लाभप्रद होगा। वर्तमान मे मार्ग पर यातायात का कोई साधन उपलब्ध नही है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करे।

मद सं0–4(अनु0) **मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत ओवरलोडिंग के जुर्म में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर परमिटों के विरूद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेषः–**

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.07.03 में यह निर्णय लिया गया था कि ठेका परमिटों/मैक्सी कैब/टैक्सी परमिटों से आच्छादित वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लघंन करने अथवा ओवरलोडिंग का अपराध पाये जाने पर प्रथम अपराध प्रषमित किया जाए तथा द्वितीय अपराध में परमिट का

निलंबन एवं तृतीय अपराध में परमिट के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। प्रष्नगत प्रकरण में पहले दो चालान निस्तारित हो चुके हैं तथा तृतीय चालान अनिस्तारित है।

क्रम सं0	स्वामी का नाम	परमिट नं0 व वाहन सख्या	चलानिंग अधिकारी का पद नाम व चालान का दिनांक	नोटिस सं0 व दिनांक	अभियोगों का पूर्ण विवरण
1.	श्री विनय पाल सिंह नेगी	टैम्पो–1807 यूपी07–एफ–5972	1–स0स0प0अ0(प्रव0) देहरादून 11.08.04 2–स0स0प0अ0(प्रव0) देहरादून 27.09.07 3–स0स0प0अ0(प्रव0) देहरादून 23.09.09	निस्तारित निस्तारित 2383/आरटीए/टैम्पो–1807/09 07.11.09	5–सवारी ओवर लोड 4–सवारी ओवर लोड 5–सवारी ओवर लोड, चालक कक्ष में चालक सहित 4 बैठे पाये गये।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–5(अनु) **श्री दर्षन लाल पुत्र श्री आषाराम ग्रा0 व पो0 माजरा देहरादून की बस सं0 यूपी06–4102 के परमिट संख्या पीएसटीपी–1571 के विरुद्ध मोटर गाड़ी अधिनियम,–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेषः–**

यात्रीकर अधीक्षक कुठाल गेट देहरादून ने दिनांक 30.05.08 को सिटी बस संख्या यूपी06–4102 का चालान निम्न अपराध में किया गया है चालान को धारा 86 की कार्यवाही हेतु भेजा गया हैः–

1. वाहन प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग के परमिट से आच्छादित है। आर्मी ड्यूटी पर बिना परमिट मसूरी जा रही है।

उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में परमिट धारक को धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस संख्या आरटीए/पीएसटीपी–1571/08 दिनांक 04.11.08 जारी किया गया था कि किन परिस्थितियों में सिटी बस को पर्वतीय मार्गों पर भेजा गया है, जबकि सिटी बसों को शहर से बाहर टूरिस्ट पार्टी लेकर जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। चालान के सम्बन्ध में परमिट धारक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। परमिट धारक ने नोटिस का उत्तर दिनांक 16.10.09 को प्रस्तुत करते हुए सूचित किया है कि आर्मी ड्यूटी के लिए परमिट प्राप्त करने की आवष्यकता नहीं है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके परमिट के विरुद्ध धारा 86 की कार्यवाही समाप्त कर दी जाये। परमिट धारक ने अपने पत्र के साथ भारतीय सैन्य अकादमी द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र भी संलग्न किया है जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने उपरोक्त बस को देहरादून से शांकरी हेतु सैन्य कर्मियों को ढोने हेतु हायर किया गया था।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत करना है कि नगर बस सेवा परमिटों पर इस आषय की शर्त लगायी गयी है कि कोई गाड़ी संविदा गाड़ी के रूप में प्रयोग नहीं की जाएगी, अर्थात् नगर बस सेवा के अन्तर्गत संचालित वाहन को शादी–विवाह तथा टूरिस्ट पार्टी से सम्बन्धित परमिट जारी नहीं किया जाएगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–6अ(अनु0) निम्नलिखित मार्गों को 7 या 8 सीट तक की हल्की वाहनों के संचालन के लिए ठेका गाड़ी के रूप में वर्गीकृत/निर्मित करने के सम्बन्ध में।

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून द्वारा निम्न मार्गों पर हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने मार्गवार परमिटों की संख्या निर्धारित करने, मार्ग वर्गीकृत/निर्मित करने की संस्तुति की गई है

क0 संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी किमी में	परमिट जारी करने की संस्तुति
1.	आईएसबीटी–मेहूवाला–हरभजवाला	9.5	05
2.	मियांवाला–तुनवाला–रायपुर–सर्वेचौक–परेडग्राउण्ड	11	10
3.	सांई मंदिर–कैनाल रोड–किषनपुर–साकेत कॉलोनी'–ग्रेट वैल्यू होटल–सचिवालय–ई0सी0 रोड–आराघर–रिस्पना–केदारपुरम–दून विष्वविद्यालय–	18	10

	मोथरोवाला		
4.	डिफेंस कॉलोनी–आराघर–सीएमआई–सुभाष रोड–परेडग्राउण्ड–सेंट जोजफ स्कूल–सचिवालय–हार्थीबाड़कला–सर्किट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–डाकरा बाजार(षिव मंदिर)	14	10
5.	डूंग–पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी–विषनपुर–पौंधा–कोल्हूपानी–प्रेमनगर	13.05	10
6.	बसंत विहार–बल्लीवाला चौक–कांवली रोड–सहारनपुर चौक–रेलवे स्टेषन–प्रिंस चौक–दर्षनलाल चौक–पवेलियन–कनक चौक–सर्वेचौक–सहस्रधारा क्रॉसिंग–नालापानी चौक–मयूरी विहार–मंदाकिनी विहार–आईटी पार्क–गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास	14	10
7.	रेलवे स्टेषन–प्रिंस चौक–दर्षनलाल चौक–परेडग्राउण्ड–सर्वेचौक–सहस्रधारा क्रॉसिंग–लाडपुर–रायपुर	8.5	05
8.	रेलवे स्टेषन–सहस्रधारा वाया प्रिंस चौक–घंटाघर–एस्लेहॉल–दिलाराम–सांईमंदिर –मसूरी डायवर्जन रोड	16.9	10
9.	रेलवे स्टेषन–प्रेमनगर–ठाकुरपुर वाया–सहारनपुर चौक	12.5	06
10.	गढ़ीकैण्ट–क्लेमेटाउन वाया बल्लुपुर चौक–बल्लीवाला चौक–कांवली रोड–सहारनपुर चौक–रेलवे स्टेषन–सहारनपुर चौक–पटेलनगर–आईएसबीटी–सुभाष नगर	13	08
11.	परेडग्राउण्ड–सेलाकूई वाया प्रिंस चौक–कांवली रोड–बल्लीवाला चौक–बल्लुपुर चौक–प्रेमनगर	23	10
12.	आईएसबीटी–रिस्पना–जोगीवाला–नेहरूग्राम–किद्दूवाला–रायपुर–रांझावाला मार्ग एवं रायपुर–नेहरूग्राम–मोहकमपुर–आईएसबीटी मार्ग	14	10

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

(ब)– **हरिद्वार नगर एवं जनपद के विभिन्न स्थानों पर आम जनता को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में टैक्सी/मैक्सी प्रकार की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित किए जाने हेतु मार्ग सृजित/वर्गीकृत करने के सम्बन्ध में।**

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार द्वारा निम्न मार्गों पर हल्की वाहनों को ठेका गाड़ी के रूप में संचालित करने/मार्ग वर्गीकृत/निर्मित करने की संस्तुति की गई है

क0 संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी किमी में	परमिट जारी करने की संस्तुति
1.	पंतजली योग पीठ बहादराबाद–पुल जटवाड़ा–ज्वालापुर–सिंहद्वार–नया हरिद्वार–रेलवे स्टेषन	18	
2.	बहादराबाद–षिवालिकनगर–चिनमय डिग्री कॉलेज–सिडकुल–रोषनाबाद	15	
3.	रेलवे स्टेषन/रोडवेज–षिवमूर्ति–ललतारावपुल–चण्डी मंदिर रोपवे–गौरी शंकर मंदिर–नीलेष्वर महोदव	10	
4.	पंतजली योग पीठ–रूड़की–रूड़की इंजीनियरिंग कॉलेज–रूड़की एस0डी0एम0 चौक	16	
5.	रूड़की–भगवानपुर–उत्तराखण्ड बॉर्डर तक	22	
6.	रूड़की पुहाना–झबरेड़ी–इकबालपुर	15	
7.	रूड़की–नारसन–उत्तराखण्ड बॉर्डर	25	
8.	दक्षदीप पार्किंग–कनखल चौक–पहाड़ी बाजार–बंगाली मोड–जगतगुरू आश्रम–षंकराचार्य चौक द्वारा डामकोठी–देवीपुरा चौक–रेलवे स्टेषन व वापिस	12	
9.	दक्षदीप पार्किंग–बूढ़ी माता–कृष्णानगर–सिंहद्वार–आर्यनगर–ज्वालापुर रेलव स्टेषन एवं वापिस	07	
10.	ज्वालापुर रेलवे पुलिस चौकी–रेलवे स्टेषन–सेक्टर 2 इण्ड्रीस्ट्रीयल एरिया–रोषनाबाद–ललतारावपुल एवं वापिस	14	
11.	थाना कनखल–रामदेव जी पुलिया–पंतजली योग पीठ–नहर के किराने हेतु नया हरिद्वार एस0एम0जे0एन0 कालेज रानीपुर मोड़–ऋषिकुल	15	
12	दक्षदीप पार्किंग–षंकराचार्य चौक–चण्डी चौक–नील धारा पार्किंग–चण्डी देवी–रोपवे मार्ग–गौरी शंकर मंदिर–नीलेष्वर महादेव मंदिर	10	

13	रायवाला–मोतीचूर पार्किंग–षांतिकुज–संस्कृति महाविद्यालय–सप्तऋषि आश्रम–भारत माता मंदिर–पावन धाम भीमवाड़ा	12	
14.	मेतीचूर पार्किंग–संस्कृत महाविद्यालय शांतिकुज–दुधाधारी चौक–पावन धाम चौक–हर की पौड़ी बाई पास से चण्डीघाट चौक–ललतारावपुल षिवमूर्ति–रेलवे स्टेषन	14	
15.	ऋषिकुल पार्किंग–देवपुरा चौक–रेलवे स्टेषन–षिवमूर्ति–डाम कोठी–चण्डी चौक हर की पौड़ी–पावन धाम चौक	11	
16.	ऋषिकुल पार्किंग रानीपुर मोड़–एस0एम0जे0एन0 डिग्री कॉलेज चौक–षंकर आश्रम–आर्य नगर चौक–पुल जटवाड़ा ज्वालापुर	10	
17.	रेलवे स्टेषन–ऋषिकुल पार्किंग–रानीपुर मोड़–टिबड़ी–बी0एच0ई0एल0–रोषनाबाद	16	
18.	रेलवे स्टेषन–रानीपुर मोड़–सिंहद्वार–कनखल–जगजीतपुर–बादषाहपुर–सुल्तानपुर –लक्सर	35	

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–7(अनु0) **विक्रम टैम्पो/ऑटोरिक्षा परमिटों के नवीनीकरण हेतु विलम्ब से प्राप्त निम्नलिखित प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेषः–**

मोटर गाड़ी अधिनियम में दिए गए प्राविधानों के अनुसार परमिट के नवीनीकरण का प्रार्थनापत्र परमिट समाप्त होने की तिथि से 15 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.06 के संकल्प संख्या–23 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी दषा में 05 वर्ष से अधिक विलम्ब होने पर परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। परमिटों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों का विवरण निम्न प्रकार है

क्र0सं0	परमिट धाकर का नाम	परमिट संख्या व वैधता	वाहन संख्या व मॉडल	केन्द्र का नाम	प्रार्थना पत्र प्राप्त की तिथि
1.	श्री अनिल कुमार शर्मा	टैम्पो–910 19.06.2001	यूजीवाई–8466 1986	हरिद्वार केन्द्र	06.11.09
2.	श्री बनारसी दास	टैम्पा–885	यूएमएस–8030	हरिद्वार केन्द्र	06.11.09

		05.06.2001	1987		
3.	श्री संदीप कुमार	टैम्पो–762 06.08.2000	यूजीवाई–8468 1986	हरिद्वार केन्द्र	06.11.09
4.	श्री बृज भूषण	टैम्पो–2628 10.07.2001	यूपी07सी–1987 1995	रूड़की केन्द्र	06.11.09
5.	श्री अमृत सिंह	टैम्पो–873 01.06.2001	यूएमएस–229 1988	हरिद्वार केन्द्र	06.11.09
6.	श्री दीनदयाल शर्मा	टैम्पो–272 10.12.2000	यूपी07–एल–0877	ऋषिकेष केन्द्र	06.11.09
7.	श्री संजय अग्रवाल	टैम्पो–2647 14.07.2001	यूपी10–ए–8111	ऋषिकेष केन्द्र	06.11.09
8.	श्री जोगिन्दर सिंह	टैम्पो–1466 10.04.2001	यूजीएक्स–9756 1986	हरिद्वार केन्द्र	06.11.09
9.	श्री दिनेष चन्द्र	टैम्पो–2540 09.05.2001	यूपी07–सी–3099 1996	रूड़की केन्द्र	06.11.09
10.	श्री कमल सिंह	टैम्पो–896 07.06.2001	यूजीएक्स–9719 1986	हरिद्वार केन्द्र	06.11.09
11.	श्री सुरेष पाल	टैम्पो–242 18.06.2000	यूआरजे–9033	हरिद्वार केन्द्र	06.11.09
12.	श्री अरविन्द कुमार	टैम्पो–1199 09.02.2002	यूपी08–0074 1989	हरिद्वार केन्द्र	06.11.09
13.	श्रीमती कृष्णा देवी	टैम्पो–1395 03.03.1997	यूएचएन–3192 1988	हरिद्वार केन्द्र	06.11.09
14.	श्री राजेन्द	टैम्पो–1755 01.01.1998	यूपी07–1666	डोईवाला केन्द्र	16.10.09
15.	श्री अषोक कुमार शर्मा	टैम्पो–764 06.08.2000	यूजीवाई–8481,	हरिद्वार केन्द्र	24.10.09
16.	श्री परमजीत सिंह	टैम्पो–1847 02.11.1998	यूपी10–ए–1445 1992	रूड़की केन्द्र	06.11.09

17.	श्री जहीर हसन	टैम्पो–1842 21.10.1998	यूपी10–ए–4159 1993	रूड़की केन्द्र	06.11.09
18.	श्री हरीष कुमार	टैम्पो–1840 20.10.1998	यूपी10–ए–5526 1993	रूड़की केन्द्र	06.11.09
19.	श्री अनीस अहमद	टैम्पो–1853 04.11.1988	यूपी07–सी–0449 1993	रूड़की केन्द्र	06.11.09
20.	श्री सुषील कुमार	टैम्पो–2306 10.10.2000	यूपी10–बी–1842 1995	रूड़की केन्द्र	06.11.09
21.	श्री देवेन्द्र सिंह	टैम्पो–1240 12.02.1997	यूपी08–1538 1992	हरिद्वार केन्द्र	06.11.09
22.	श्री अरुण कुमार	टैम्पो–1926 29.04.1999	यूपी10–ए–7075	रूड़की केन्द्र	06.11.09
23.	श्री वेद प्रकाष	टैम्पो–1929 02.05.1999	यूपी10–ए–6758	रूड़की केन्द्र	06.11.09
24.	श्री नरेन्द्र कुमार	टैम्पो–1313 18.02.1997	यूपी08–2197 1992	ऋषिकेष केन्द्र	06.11.09
25.	श्री प्रेम सिंह	टैम्पो–1337 18.02.1997	यूपी08–1923 1991	ऋषिकेष केन्द्र	06.11.09
26.	श्री राजेष कुमार	टैम्पो–287 11.02.2001	यूपी10–बी–3334 1996	रूड़की केन्द्र	06.11.09

मद सं0 8(अनु0) **श्री छोटेलाल के स्थाई ऑटो परमिट सं0–2765 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में विचार व आदेष।**

श्री छोटेलाल पुत्र श्री राम लाल 46 शास्त्री बाग देहरादून को आरटीए देहरादून द्वारा उनकी वाहन संख्या यूएमएस–8359 हेतु देहरादून केन्द्र से 16 किमी परिधि हेतु ऑटो रिक्षा परमिट सं0–2765 दिनांक 02.07.1993 से 01.07.1998 तक की अवधि हेतु जारी किया गया था। श्री छोटे लाल द्वारा परमिट नवीनीकरण हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 20.06.03 को 05 वर्ष विलम्ब से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया था।

प्रार्थनापत्र विलम्ब से कार्यालय में प्रस्तुत होने के कारण उक्त नवीनीकरण के मामले को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 03.11.03 में विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त वाहन स्वामी से निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त कर मामले को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देष दिए थे।

1. परमिट पर संचालित वाहन संख्या यूएमएस–8359 वर्तमान में संचालित है अथवा नहीं।
2. यदि वाहन का संचालन नहीं हो रहा है तो परमिट पर लगी वाहन के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत करें।
3. वाहन मार्गकर/अति0कर कब तक जमा है।
4. वाहन स्वस्थता प्रमाण पत्र/बीमा प्रमाणपत्र कब तक वैध था।

वाहन स्वामी श्री छोटेलाल द्वारा आज तक उक्त बिन्दुओं पर कार्यालय को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। दिनांक 16.10.09 को एक प्रार्थनापत्र उक्त परमिट नवीनीकरण हेतु पुनः प्रेषित किया गया है।

अतः मामला प्राधिकरण के आदेषार्थ पुनः प्रस्तुत।

मद सं0–9(अनु0) **श्री पंकज पांथरी पुत्र श्री सोहन सिंह पांथरी निवासी ग्रा0 व पो0 पंचायत भवन गुमानीवाला देहरादून को ऋषिकेष या हरिद्वार केन्द्र का डीजल ऑटो या टाटामैजिक का परमिट स्वीकृति हेतु विचार व आदेष।**

श्री पंकज पांथरी पुत्र श्री सोहन सिंह पांथरी निवासी ग्रा0 व पो0 पंचायल भवन गुमानी वाला, ऋषिकेष, जिला देहरादून द्वारा विक्रम टैम्पो वाहन के स्थाई परमिट हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में अन्य प्रार्थनापत्रों के साथ विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा श्री पंकज पांथरी का प्रार्थनापत्र अन्य प्रार्थनापत्रों के साथ अस्वीकृत कर दिया गया था।

श्री पंकज पांथरी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सहित उत्तराखण्ड सचिवालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है कि उन्हें टैम्पो, ऑटोरिक्षा अथवा टाटा मैजिक का स्थाई परमिट

जारी करने की कृपा करें। सभी पत्र इस कार्यालय को आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देष के साथ प्राप्त हुए हैं। पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है।

1. महामहीम राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. पूर्व मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. परिवहन सचिव/मण्डल आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
5. पुलिस महानिदेषक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डल आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
8. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।

श्री पंकज पांथरी द्वारा पुनः इस कार्यालय में ऑटो रिक्षा/टाटा मैजिक स्थाई परमिटों हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार जिसके लिए प्रार्थनापत्र दिया गया है।	प्रार्थनापत्र देने का दिनांक व कोर्टफीस संख्या	परिशिष्ट सूची का क्रमांक
1.	डीजल चालित ऑटोरिक्षा स्थाई परमिट प्रार्थनापत्र –ऋषिकेष केन्द्र	14.10.2009 8579	**247**
2.	टाटा मैजिक	15.10.2009 9067	**2008**

अतः प्राधिकरण विचारोपरान्त उपरोक्त प्रार्थनापत्रों पर आदेष पारित करने की कृपा करें।

सचिव
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण

देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.2009 के अनु0 एजेण्डा की विषय सूची

मद सं0 (अनु0)	परिशिष्ट	विषय	एजेण्डा का पेज नं0
1		जनपद उत्तरकाषी के अन्तर्गत नवनिर्मित मार्ग खालस (मल्ली बैण्ड) से मणीगांव तक भारी वाहन मार्ग को यातायात के लिए खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेष।	1
2		जनपद टिहरी के नवनिर्मित मोटर मार्गों को यातायात हेतु खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेष	1
3.		दल्लावाला–खानपुर–लक्सर मार्ग का विस्तार लक्सर से वालावाली–मुरनी–भौरना–ढाढकी–मथाना–मोहम्मदपुर–कर्णपुर होते हुए खानपुर–दल्लावाला तक करने के सम्बन्ध में।	2
4.		मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत दो से अधिक चालान होने पर धारा 86 की कार्यवाही	3
5.		श्री दर्षन लाल के परमिट सं0 पीएसटीपी–1571 के विरुद्ध धारा–86 की कार्यवाही	4

6.(अ)		7 या 8 सीट तक की हल्की वाहनों के संचालन के लिए ठेका गाड़ी के रूप में वर्गीकृत/निर्मित करने के सम्बन्ध में।	5
(ब)		हरिद्वार नगर/जनपद के विभिन्न स्थानों से हल्की वाहनों के संचालन के लिए ठेका गाड़ी के रूप में वर्गीकृत/निर्मित करने के सम्बन्ध में।	7
7.		विलम्ब से प्राप्त विक्रम टैम्पो/ऑटोरिक्षा परमिटों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेष।	8
8.		श्री छोटे लाल के स्थाई परमिट सं0 ऑटो–2765 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में विचार व आदेष	10
9.		श्री पंकज पांथरी को परमिट जारी करने के सम्बन्ध में	11